क्रेडिट कार्ड के लिए सामान्य नियम और शर्तें (टीएंडसी)

कार्ड के उपयोग/जारी करने के नियम और शर्तें ("टीएंडसी") फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड पर लागू होती हैं। फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड के लिए आपके आवेदन की स्वीकृति के बाद, आपको (ग्राहक) फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड ("कार्ड") जारी किया जाता है। आप कार्ड प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इसे वापस कर सकते हैं। यदि आप कार्ड प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर इसे वापस नहीं करते हैं और/या कार्ड का उपयोग या उससे लेनदेन करते हैं, तो यह माना जाएगा कि आपने कार्ड पर लागू निम्नलिखित शर्तों को पढ़ और समझ लिया है और उन्हें अपरिवर्तनीय रूप से स्वीकार कर लिया है:

(a) फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड का उपयोग इन टीएंडसी में दिए गए नियमों और शर्तों और बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधित सर्वाधिक महत्वपूर्ण नियम और शर्तों (एमआईटीसी) के साथ-साथ आपके द्वारा जमा किए गए आवेदन फॉर्म में बताई गई शर्तों और बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए गए किसी भी अतिरिक्त नियम और शर्तों द्वारा नियंत्रित होगा।

(b) यदि कार्ड पर लागू होने वाले नियम और शर्तें आपको स्वीकार्य नहीं हैं, तो आप हमें लिखित रूप में सूचित करेंगे, जिसके बाद कार्ड अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, और आप कार्ड प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर भौतिक कार्ड को नष्ट कर (टुकड़ों में काटकर) हमें वापस कर देंगे।

(c) इस नियमों और शर्तों (टीएंडसी) में किए गए बदलावों की सूचना आपको बैंक के पास रजिस्टर्ड आपकी ई-मेल आईडी/फ़ोन नंबर पर ई-मेल/एसएमएस के माध्यम से दी जाएगी। सूचना की तारीख से तीस (30) दिनों की अवधि के भीतर क्रेडिट कार्ड वापस न करने पर, इसे आपकी सहमति/स्वीकृति माना जाएगा।

(d) कार्ड आपकी इस घोषणा के आधार पर जारी किया जाता है कि आप भारत के निवासी हैं। यदि भविष्य में यह पाया जाता है कि आपकी आवासीय स्थिति अनिवासी भारतीय (एनआरआई) है, तो बैंक के पास जारी किए गए कार्ड को रद्द करने या अपनी आंतरिक नीतियों के अनुसार ऐसी अन्य कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित है जिसे वह उचित समझे। कार्ड रद्द होने पर, कार्ड अकाउंट की पूरी बकाया राशि के साथ-साथ कार्ड के उपयोग से लगने वाले अन्य सभी शुल्क, भले ही वे अभी तक कार्ड अकाउंट में बिल न किए गए हों, आपके द्वारा तुरंत देय होंगे।

परिभाषाएं

1. फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, या कार्ड या कार्ड नंबर का अर्थ फेडरल बैंक द्वारा जारी किए गए एक वैध क्रेडिट कार्ड से है, जो कार्ड सदस्य को पूर्व-निर्धारित क्रेडिट लिमिट के लिए कार्ड अकाउंट का उपयोग करने का अधिकार देता है। "कार्ड" का तात्पर्य सभी तरह के कार्ड से है, चाहे उनका रूप कैसा भी हो, जैसे - फिजिकल कार्ड, वर्चुअल/डिजिटल कार्ड, या टोकेनाइज़्ड कार्ड।

2. एडिशनल क्रेडिट कार्ड या ऐड-ऑन क्रेडिट कार्ड का तात्पर्य है वह कार्ड जो प्राइमरी कार्ड सदस्य के अनुरोध पर एडिशनल कार्ड सदस्य को जारी किया जाता है।

3. एडिशनल कार्ड सदस्य से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जो भारत में कार्यरत एक निवासी भारतीय /एनआरआई/विदेशी नागरिक है और प्राइमरी कार्ड सदस्य के निकटतम परिवार का सदस्य है, जैसे कि पति/पत्नी, भाई, बहन, माता-पिता, सास-ससुर और बच्चे, और जिसकी आयु 18 वर्ष से अधिक है, जिसे प्राइमरी कार्ड सदस्य के अनुरोध पर एक अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है और जिसका शुल्क कार्ड अकाउंट पर देय होगा।

4. बैंक, हम, हमें, हमारा या इसी तरह के सर्वनामों का तात्पर्य द फेडरल बैंक लिमिटेड, इसके उत्तराधिकारी, असाइनी, प्रशासक, परिसमापक आदि होगा, जैसा भी मामला हो।

5. बिलिंग साइकिल कार्ड सदस्य को जारी किए जाने वाले दो क्रमिक बिलिंग स्टेटमेंट के बीच की अवधि है।

6. कार्ड सदस्य, प्राइमरी कार्ड सदस्य, कार्डधारक, सदस्य, ग्राहक, आप, आपका, उसे, वह, उसका, या इसी तरह के सर्वनामों का तात्पर्य उस व्यक्ति से होगा जिसके नाम पर कार्ड जारी किया गया है और कार्ड अकाउंट संचालित है।

7. कार्ड अकाउंट या अकाउंट का तात्पर्य इन नियमों और शर्तों के अंतर्गत बैंक द्वारा प्राइमरी कार्ड सदस्य के नाम पर संचालित अकाउंट होगा।

8. डोमेस्टिक लेनदेन / उपयोग - भारत में मर्चेंट आउटलेट्स, एटीएम या ऑनलाइन लेनदेन पर कार्ड का उपयोग करके किए गए लेनदेन।

9. इंटरनेशनल लेनदेन / उपयोग - विदेशी मर्चेंट आउटलेट्स, विदेशी एटीएम या भारत के बाहर की वेबसाइटों पर कार्ड का उपयोग करके किए गए लेनदेन।

10. क्रेडिट लिमिट का तात्पर्य है वह अधिकतम राशि जिसका उपयोग आपके द्वारा किसी भी समय कार्ड अकाउंट में क्रेडिट के तहत किया जा सकता है। क्रेडिट लिमिट में डोमेस्टिक लिमिट के साथ-साथ इंटरनेशनल लिमिट भी शामिल होगी। डोमेस्टिक लिमिट डोमेस्टिक लेनदेन के लिए निर्धारित अधिकतम क्रेडिट लिमिट की वैल्यू है। इंटरनेशनल लिमिट इंटरनेशनल लेनदेन के लिए निर्धारित अधिकतम क्रेडिट लिमिट की वैल्यू है।

11. 'चार्जेस' (शुल्क) का तात्पर्य है कार्ड के माध्यम से किए गए लेनदेन के लिए कार्ड अकाउंट से डेबिट की गई राशियाँ (चाहे कार्ड सदस्य ने चार्ज स्लिप पर हस्ताक्षर किए हों या नहीं) और/या इन नियमों और शर्तों (टीएंडसी) के अनुसार बैंक को देय किसी भी फीस के लिए कार्ड अकाउंट पर लगाया गया चार्ज। इसमें कार्ड के माध्यम से वस्तुओं/सेवाओं की खरीद के लिए किए गए भुगतान, कार्ड या कार्ड नंबर का उपयोग करके कार्ड अकाउंट से किया गया कैश विड्रॉल या ड्राफ्ट, जॉइनिंग फीस, वार्षिक फीस, फाइनेंस चार्जेस, देरी से भुगतान शुल्क, सर्विस चार्जेस, जीएसटी और सरचार्ज सहित कोई भी अन्य फीस /शुल्क/राशि शामिल होगी, जिसे भुगतान करने के लिए कार्ड सदस्य सहमत है या इस टीएंडसी के तहत बैंक को भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है।

12. कैश लिमिट (नकद सीमा) का तात्पर्य कैश या कैश के बराबर की वह राशि है जिसे कार्ड सदस्य को भारत या विदेश में एटीएम से निकालने की अनुमति दी जा सकती है और/या जिसका इस्तेमाल बिना-खरीद वाले लेनदेन के लिए कर सकता है। कुछ एटीएम पर विड्रॉल शुल्क लगेंगे, जिनका बैंक से कोई संबंध नहीं है। कार्ड सदस्य कैश विड्रॉल के लिए एमआईटीसी में बताए अनुसार कैश एडवांस शुल्क और फाइनेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

13. इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल का तात्पर्य है ब्रांच टेलर टर्मिनल, एटीएम, मर्चेंट पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल या ईडीसी (इलेक्ट्रॉनिक डेटा कैप्चर मशीन) और अन्य उपकरण जिनमें लेनदेन करने के लिए क्रेडिट कार्ड और/या पिन (व्यक्तिगत पहचान संख्या) का उपयोग किया जा सकता है, और जो इन उद्देश्यों के लिए बैंक द्वारा अधिकृत हैं।

14. एनएसीएच (नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस) या ई-एनएसीएच, यदि लागू हो, का तात्पर्य भारत के रिजर्व बैंक द्वारा अधिसूचित एनएसीएच या एनएसीएच ई-मैंडेट का उपयोग करने वाली डेबिट क्लियरिंग सेवाएं होंगी, जिसमें भागीदारी के लिए कार्ड सदस्य द्वारा लिखित रूप में सहमति दी गई है ताकि कार्ड अकाउंट में बकाया देय राशि के भुगतान की सुविधा मिल सके, जो ऐसी सेवाओं पर लागू नियमों और शर्तों के अधीन होगी जिसके लिए कार्ड सदस्य द्वारा अलग से सहमति दी जाएगी।

15. फाइनेंस चार्जेस से तात्पर्य इन नियमों और शर्तों में दिए गए अनुसार कार्ड अकाउंट में कुल बकाया राशि पर लगाए गए ब्याज से है और इसमें वह ब्याज शामिल होगा।

16. मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट से तात्पर्य किसी भी कंपनी, निगम, प्रतिष्ठान, फर्म, एसोसिएशन, व्यक्ति या ऐसी किसी भी संस्था से है जिसे बैंक द्वारा समय-समय पर घोषित किया जा सकता है, चाहे वह कहीं भी स्थित हो, जिसे

मास्टरकार्ड/वीज़ा/रुपये मर्चेंट के रूप में नामित किया गया है और/या जिसके साथ किसी भी मास्टरकार्ड/वीज़ा/रुपये सदस्य बैंक की ऐसी व्यवस्था है जिससे कार्ड सदस्य कार्ड या कार्ड नंबर के उपयोग से सामान, सेवाएं या कैश एडवांस प्राप्त कर सके।

17. खरीदारी से तात्पर्य कार्ड सदस्य द्वारा कार्ड या कार्ड नंबर का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं की खरीद से है और इसमें ये शामिल होंगे।

18. पेमेंट ड्यू डेट से तात्पर्य उस तिथि से है, जिस दिन या उससे पहले कार्ड सदस्य को कार्ड के अंतर्गत किसी भी बकाया राशि का भुगतान बैंक को करना होगा।

19. स्मार्ट क्रेडिट कार्ड का तात्पर्य बैंक द्वारा जारी किया गया वह क्रेडिट कार्ड है, जो कार्ड सदस्य को विशिष्ट पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स पर अर्जित और संचित लॉयल्टी पॉइंट्स देखने और उन्हें रिडीम करने की सुविधा प्रदान करेगा। कार्ड सदस्य को जारी किया गया कार्ड एक स्मार्ट क्रेडिट कार्ड है।

20. टोटल आउटस्टैंडिंग का तात्पर्य कार्ड अकाउंट में बैंक को देय कुल बकाया राशियाँ हैं, जिनमें लेनदेन की राशि, शुल्क, फ़ीस और ऐसी कोई भी अन्य राशि शामिल है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, जो समय-समय पर बिलिंग साइकिल में बैंक को देय हो सकती है।

21. अस्थायी क्रेडिट लिमिट वृद्धि का तात्पर्य है किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कार्ड सदस्य द्वारा अनुरोधित क्रेडिट लिमिट में वृद्धि। ऐसी वृद्धि केवल एक निश्चित अवधि के लिए की जाएगी, जिसका भुगतान कार्डधारक को उसी अवधि के भीतर करना होगा और उसके बाद मूल क्रेडिट लिमिट पुनः लागू कर दी जाएगी।

22. वैध कार्ड का तात्पर्य है वह क्रेडिट कार्ड जो बैंक द्वारा जारी किया गया हो और जिसकी अवधि समाप्त न हुई हो, जो क्षतिग्रस्त न हुआ हो और जिसे बैंक द्वारा रद्द न किया गया हो।

23. बैंक आपके अलावा किसी को भी कार्ड सदस्य का पिन या कोड प्रकट नहीं करेगा। कार्ड सदस्य को पिन या अन्य प्रमाणीकरण कोड जारी करते समय बैंक ने उद्योग के मानकों के अनुरूप उचित उपाय किए हैं, और बैंक कार्डधारक के पिन या कोड का खुलासा कार्ड सदस्य के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष नहीं करेगा। एक कार्ड सदस्य के रूप में, आपको कार्ड के माध्यम से किए गए लेनदेन की विशेषताओं और उनके प्रभाव की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आपको जारी किए गए कार्ड के किसी भी उपयोग के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

नियम और शर्तें:

कार्डधारक के रूप में आप इसके द्वारा निम्नलिखित को स्वीकार करते हैं/सहमत होते हैं:

1. आप यहाँ दी गई शर्तों और नियमों का पालन करने के लिए सहमत हैं, जिनमें भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के निर्देशों, किसी भी वैधानिक निकाय के निर्देशों या बैंक की पॉलिसी में बदलाव के कारण बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधन किए जा सकते हैं।

2. कार्ड को तभी स्वीकार किया जाएगा जब आपके द्वारा मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट को एक वैध कार्ड प्रस्तुत किया जाएगा।

3. कार्ड बैंक की संपत्ति है और बैंक द्वारा मांग किए जाने पर, इसे बिना किसी देरी या आपत्ति के बैंक को प्रस्तुत या वापस किया जाना अनिवार्य है।

4. कार्ड ट्रांसफर योग्य नहीं है, और आपको इसे हमेशा अपने व्यक्तिगत नियंत्रण या अभिरक्षा में रखकर दुरुपयोग से सुरक्षित रखना चाहिए।

5. (a) आप भारतीय रुपये के अलावा अन्य मुद्राओं में भुगतान के लिए कार्ड का उपयोग केवल तभी कर सकते हैं जब ऐसे भुगतान भारत में लागू कानूनों, विशेष रूप से विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा) के अनुरूप हों। इसके अलावा, कार्ड का उपयोग उन वेबसाइटों/एप्लीकेशनों/प्लेटफॉर्मों पर किसी भी लेनदेन के लिए नहीं किया जाना चाहिए जो भारत के कानूनों के तहत प्रतिबंधित हैं, क्योंकि इस तरह के किसी भी उपयोग के परिणामस्वरूप आप पर आपराधिक दायित्व आ सकता है।

   (b) आप नेपाल या भूटान में विदेशी मुद्रा में भुगतान करने के लिए कार्ड का उपयोग नहीं करेंगे।

6. आपके कार्ड से जुड़ा कार्ड नेटवर्क वही नेटवर्क (उपलब्ध नेटवर्कों में से) होगा, जिसे आपने कार्ड आवेदन फॉर्म में चुना है। उपरोक्त के बावजूद, यदि आप योग्य पाए जाते हैं, तो आपको कार्ड नवीनीकरण के समय नेटवर्क (उपलब्ध नेटवर्कों में से) चुनने या बदलने का विकल्प दिया जाएगा। यदि बैंक द्वारा नेटवर्क बदलने की अनुमति दी जाती है, तो आप उस नए नेटवर्क द्वारा प्रदान किए जाने वाले लाभों, अधिकारों और दरों के हकदार होंगे जिससे कार्ड लिंक्ड है।

7. कार्डधारक कार्ड के लिए आवेदन करते समय, आरबीआई के दिशानिर्देशों के अधीन, बैंक द्वारा प्रदान किए गए उपलब्ध विकल्पों (वीज़ा, मास्टरकार्ड, रुपे) में से अपना पसंदीदा कार्ड नेटवर्क चुन सकते हैं। मौजूदा कार्डधारकों के लिए यह विकल्प कार्ड के नवीनीकरण के समय उपलब्ध होगा। कार्डधारक को उनके द्वारा चुने गए कार्ड नेटवर्क से जुड़ा कार्ड जारी किया जाएगा, जो लागू कार्ड वेरिएंट जैसे कि सिग्नेट, इम्पीरिया, सेलेस्टा के अंतर्गत होगा। बैंक समय-समय पर संशोधित अपनी नीतियों के अधीन, कार्डधारक की योग्यता मानदंडों के आधार पर किसी भी विशिष्ट कार्ड वेरिएंट (जैसे सिग्नेट, इम्पीरियो, सेलेस्टा) को जारी करने का अपना अधिकार सुरक्षित रखता है। कार्ड वेरिएंट (जैसे सिग्नेट, इम्पीरियो, सेलेस्टा) निर्धारित करने के संबंध में बैंक का निर्णय उसके पूर्ण विवेक पर आधारित, अंतिम और कार्डधारक के लिए बाध्यकारी होगा तथा यह किसी भी समीक्षा, अपील या विवाद के अधीन नहीं होगा। विशिष्ट कार्ड वेरिएंट जारी करने के संबंध में बैंक द्वारा कोई आश्वासन, वारंटी या वचन नहीं दिया गया है।

कार्ड सेवाएँ

बैंक के पास (1) आवेदक की साख (क्रेडिट वर्थिनेस) का पता लगाने के लिए आंतरिक प्रक्रियाएँ (जिसमें बिना किसी सीमा के क्रेडिट ब्यूरो रिपोर्ट और आपसे संबंधित ऐसी अन्य रिपोर्ट प्राप्त करना शामिल है) लागू करने और (2) अपने विवेक से किसी भी आवेदक को कार्ड जारी करने से मना करने का अधिकार सुरक्षित है।

कार्ड ट्रांसफर योग्य नहीं है, और इसका उपयोग यहाँ उल्लिखित नियमों और शर्तों, एमआईटीसी और बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किसी भी अन्य अतिरिक्त शर्तों के अधीन है। कार्ड सदस्य को कार्ड प्राप्त होते ही उसके पिछले हिस्से पर हस्ताक्षर करने होंगे।

आपकी शिकायतों का उचित समाधान फेडरल बैंक कस्टमर केयर सेंटर द्वारा किया जाएगा, जिसका पता और संपर्क नंबर इन नियम एवं शर्तों (टीएंडसी) में बताए अनुसार होगा। यहाँ दिए गए नियम एवं शर्तों के अधीन, कार्ड सदस्य फेडरल बैंक कस्टमर केयर सेंटर के माध्यम से क्रेडिट लिमिट में वृद्धि (यदि योग्य हों), लेनदेन पर पूछताछ, कुल देय राशि, स्टेटमेंट विवरण, पेमेंट ड्यू डेट आदि सहित, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं, अन्य सेवाओं का लाभ उठाने के हकदार होंगे।

कार्ड की वैधता, समाप्ति और नवीनीकरण

1. आपका कार्ड उस वर्ष के कैलेंडर माह के अंतिम दिन तक वैध है जो कार्ड के सामने के हिस्से पर दर्शाया गया है, जब तक कि बैंक द्वारा इसे पहले रद्द न कर दिया गया हो। यदि आप वैधता अवधि के बाहर कार्ड का उपयोग करते हैं, तो बैंक किसी भी तरह से उत्पन्न होने वाले किसी भी परिणाम के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

2. समाप्ति अवधि पूरी होने या पहले रद्द किए जाने पर, आपके कार्ड का नवीनीकरण या पुनर्बहाली केवल बैंक के विवेकाधिकार पर की जा सकती है। कार्ड की वैधता समाप्त होने पर, चुंबकीय पट्टी (मैग्नेटिक स्ट्राइप) के बीच से इसे दो भागों में काटकर नष्ट कर दें।

3. उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जब तक कि आप नियम एवं शर्तों (टीएंडसी) का उल्लंघन नहीं करते हैं या बैंक द्वारा अपने विवेकाधिकार से किसी भी कारणवश अयोग्य नहीं पाए जाते हैं, बैंक कार्ड की वैधता अवधि को स्वचालित रूप से रिन्यू कर देगा और वर्तमान कार्ड की समाप्ति से पहले आपको एक नया कार्ड भेज देगा। रिन्यू कार्ड प्राप्त न होने की स्थिति में, आप बैंक के नामित कस्टमर केयर सेंटर से संपर्क कर सकते हैं या समय-समय पर सूचित किए गए पते पर बैंक को लिख सकते हैं। कार्ड का नवीनीकरण या रीइंस्टॉल लागू नवीनीकरण शुल्क के भुगतान के अधीन होगी।

4. यदि आप कार्ड का नवीनीकरण नहीं करना चाहते हैं, तो आपको वर्तमान में उपयोग किए जा रहे कार्ड की समाप्ति से कम से कम 60 दिन पहले बैंक को सूचित करना होगा। यदि ऐसी सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो बैंक बिना किसी पूर्व सूचना के कार्ड का नवीनीकरण कर देगा और नवीनीकरण शुल्क (नवीनीकरण के समय लागू दर के अनुसार) आपके कार्ड अकाउंट से लिया जाएगा, जो कि गैर-वापसी योग्य होगा।

फीस

- आप कार्ड के संबंध में निम्नलिखित फीस का भुगतान करने के लिए सहमत हैं:

- **जॉइनिंग फीस:** क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने के समय लागू दर के अनुसार।

- **वार्षिक फीस:** क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने के समय लागू दर पर, और उसके बाद प्रतिवर्ष उसी महीने के दौरान जिसमें क्रेडिट कार्ड मूल रूप से जारी किया गया था।

- **एडिशनल कार्ड जॉइनिंग फीस और वार्षिक फीस:** जारी करने के समय कार्ड अकाउंट पर प्रत्येक एडिशनल कार्ड के लिए प्रचलित दर पर, और इसके बाद प्रतिवर्ष उस महीने के दौरान जिसमें एड-ऑन क्रेडिट कार्ड मूल रूप से जारी किया गया था।

- कार्ड अकाउंट से डेबिट किया गया शुल्क गैर-वापसी योग्य है और इसकी दर बैंक के विवेक पर परिवर्तनों के अधीन होगी। हालांकि, लागू शुल्क की शर्तों में बदलाव (शुल्क दर में वृद्धि सहित) आपको ईमेल या एसएमएस के माध्यम से पूर्व सूचना के साथ प्रभावी किए जाएंगे। कार्ड पर लागू फीस और शुल्क की अनुसूची आपके अनुरोध पर हमेशा उपलब्ध रहेगी और हमारी वेबसाइट www.federal.bank.in पर भी उपलब्ध है।

एडिशनल कार्ड

1. एक कार्ड अकाउंट पर कई एडिशनल कार्ड हो सकते हैं, जिनकी अधिकतम संख्या बैंक के पूर्ण विवेक पर निर्धारित की जाएगी।

2. आपके अनुरोध/प्राधिकरण की प्राप्ति पर, बैंक अपने विवेक से एडिशनल कार्ड सदस्य को एडिशनल कार्ड जारी कर सकता है, जो यहाँ और बैंक की वेबसाइट पर दी गई लागू शर्तों के अधीन होगा। एड-ऑन कार्ड के नियम और शर्तें देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।

3. एडिशनल कार्ड पर किए गए सभी लेनदेन और शुल्कों के लिए आप पूरी तरह से जिम्मेदार और उत्तरदायी होंगे, जिन्हें आपके अकाउंट स्टेटमेंट में शामिल किया जाएगा। भले ही मासिक अकाउंट स्टेटमेंट केवल आपको भेजा जाए, लेकिन सभी शुल्कों के लिए एडिशनल कार्ड सदस्य आपके साथ संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से बैंक के प्रति उत्तरदायी होंगे। ये नियम और शर्तें एडिशनल कार्ड सदस्य पर भी बाध्यकारी होंगी।

4. आप बैंक को अनुरोध भेजकर और एडिशनल कार्ड को दो हिस्सों में काटकर बैंक को वापस करके इस कार्ड की सुविधा वापस ले सकते हैं। कार्ड प्राप्त होने पर, बैंक एडिशनल कार्ड को रद्द कर देगा।

5. यदि किसी भी कारण से प्राइमरी कार्ड अकाउंट को समाप्त कर दिया जाता है, तो एडिशनल कार्ड की सुविधा और उसके लाभ स्वतः ही वापस ले लिए जाएंगे।

क्रेडिट लिमिट

1. आपकी क्रेडिट लिमिट वही होगी जो कार्ड जारी करने के समय आपको दिए गए वेलकम लेटर में बताई गई है। बैंक, अपने विवेकाधिकार से, क्रेडिट लिमिट को कम कर सकता है और समय-समय पर इस तरह के संशोधन के बारे में आपको सूचित करेगा। आप कार्ड अकाउंट और एडिशनल कार्ड सदस्य के लिए कम लिमिट वाले अन्य क्रेडिट के भी हकदार हैं। कार्ड सदस्य / एडिशनल कार्ड सदस्य को दी गई ऐसी कम लिमिट को प्रत्येक बिलिंग साइकिल के बाद निर्धारित लिमिट पर रिस्टोर कर दिया जाएगा। क्रेडिट लिमिट्स में कोई भी वृद्धि केवल आपकी सहमति प्राप्त करने के बाद ही की जाएगी। हालांकि, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, बैंक कार्डधारक को सूचना देकर अपने विवेकाधिकार से क्रेडिट लिमिट को कम कर सकता है।

2. मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट पर कार्ड का उपयोग बैंक द्वारा प्रत्येक कार्ड अकाउंट को आवंटित क्रेडिट लिमिट द्वारा सीमित होगा। प्राइमरी क्रेडिट कार्ड और एडिशनल कार्ड के लिए एक ही साझा क्रेडिट लिमिट निर्धारित की जाएगी, जिसका अर्थ यह है कि दोनों क्रेडिट कार्ड्स के तहत अनुमत कुल क्रेडिट लिमिट किसी भी समय कार्ड की क्रेडिट लिमिट से अधिक नहीं होगी। एडिशनल कार्ड लेनदेन लिमिट बैंक के विवेक पर, कार्ड के अनुरोध पर निर्धारित की जाएगी। कार्ड अकाउंट में बकाया राशि किसी भी समय क्रेडिट लिमिट से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस प्रावधान के उल्लंघन की स्थिति में, आपसे प्रचलित दर पर शुल्क लिया जाएगा, चाहे आप क्रेडिट लिमिट से कितनी भी अधिक राशि का उपयोग करें। आपको अतिरिक्त राशि का भुगतान तुरंत करना होगा। उपरोक्त शुल्क बैंक के विवेकाधिकार पर परिवर्तन के अधीन है।

3. यदि आपका कार्ड रद्द कर दिया जाता है, तो आपकी क्रेडिट लिमिट और कार्ड अकाउंट समाप्त कर दी जाएगी। यदि आप पेमेंट ड्यू डेट को या उससे पहले न्यूनतम देय राशि (मिनिमम अमाउंट ड्यू) का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो बैंक के पास भुगतान होने और कार्ड अकाउंट के नियमित होने तक कार्ड की सुविधा को रोकने का पूर्ण अधिकार सुरक्षित है।

4. यदि आप मासिक स्टेटमेंट के अनुसार देय राशि से अधिक भुगतान करते हैं, तो आप उक्त क्रेडिट बैलेंस राशि पर किसी भी ब्याज के हकदार नहीं होंगे। इस राशि को आगामी महीनों की देय राशि में एडस्ट किया जाएगा और इसे बाद के मासिक स्टेटमेंट में दर्शाया जाएगा।

5. आपके क्रेडिट कार्ड पर निर्धारित इंटरनेशनल लिमिट, विदेश में खरीदारी (ऑनलाइन सहित) या एटीएम के उपयोग के लिए अधिकतम उपयोग लिमिट को दर्शाती है।

कार्ड का उपयोग

1. कार्ड प्राप्त होने पर, आपको तुरंत कार्ड के पीछे हस्ताक्षर पैनल पर हस्ताक्षर करने चाहिए।

2. कार्ड का उपयोग केवल वास्तविक व्यक्तिगत उपयोग के लिए किया जा सकता है, जैसे कि व्यक्तिगत उद्देश्यों के लिए वस्तुओं और/या सेवाओं की खरीदारी करना। आप किसी भी प्रकार का वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक या व्यापारिक उद्देश्यों हेतु पुनर्विक्रय के लिए कार्ड का उपयोग नहीं करेंगे।

3. इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड का उपयोग प्रतिबंधित वस्तुओं की खरीद के लिए नहीं किया जा सकता है, जैसे कि लॉटरी टिकट, प्रतिबंधित या वर्जित मैगज़ीन, स्वीपस्टेक्स में भागीदारी, कॉल-बैक सेवाओं के लिए भुगतान, और/या ऐसी वस्तुएं/गतिविधियां जिनके लिए विदेशी मुद्रा की निकालने की अनुमति नहीं है।

4. शुल्क लगने के समय आपको चार्ज स्लिप, कैश एडवांस स्लिप या मेल ऑर्डर कूपन पर हस्ताक्षर करने चाहिए और/या उन्हें प्राप्त करना चाहिए। चार्ज स्लिप पर हस्ताक्षर न करने से आप शुल्कों के भुगतान के दायित्व से मुक्त नहीं होंगे। आपको चार्ज स्लिप की अपनी कॉपी कम से कम छह महीने तक संभाल कर रखनी चाहिए।

5. आप इस बात से सहमत हैं और स्वीकार करते हैं कि बैंक किसी भी समय बिना किसी पूर्व सूचना के, या कोई भी कारण बताए बिना, मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट पर शुरू किए गए लेनदेन के लिए ऑथोराइजेशन देने से मना कर सकता है और/या कार्ड का उपयोग करने की आपकी क्षमता को प्रतिबंधित या स्थगित कर सकता है और/या कार्ड को सस्पेंड या रद्द कर सकता है। बैंक के पास कार्ड को वापस लेने का अधिकार होगा यदि उसे उचित रूप से लगता है कि किसी भी क्रेडिट या व्यावसायिक जोखिम के उचित प्रबंधन के लिए यह आवश्यक है या यदि कार्ड या कार्ड अकाउंट का दुरुपयोग किया जा रहा है या दुरुपयोग किए जाने की संभावना है। ऐसी स्थिति में, बैंक द्वारा मांग किए जाने पर, आप बैंक द्वारा निर्धारित तरीके से कार्ड वापस कर देंगे, जिसमें बिना किसी सीमा के एटीएम, मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट या बैंक की किसी भी शाखा के माध्यम से कार्ड वापस करना शामिल है।

6. कार्ड अकाउंट में किसी भी लेनदेन के लिए बैंक द्वारा किसी भी माध्यम से प्राप्त कोई भी चार्ज स्लिप या अन्य भुगतान मांग इस बात का निर्णायक प्रमाण होगी कि ऐसी चार्ज स्लिप या अन्य मांग पर दर्ज राशि आपके द्वारा कार्ड के उपयोग से खर्च की गई थी। जहाँ चार्ज स्लिप या वाउचर उपलब्ध नहीं है, जैसे कि उन मामलों में जहाँ लेनदेन डाक ऑर्डर, टेलीफोन ऑर्डर या ई-कॉमर्स के माध्यम से किए जाते हैं और आप उस लेनदेन पर विवाद करते हैं, तो आप पहले कार्ड अकाउंट में बकाया राशि का भुगतान करेंगे और उसके बाद संबंधित मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ सीधे विवाद का समाधान करेंगे। बैंक इसके लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा। लेनदेन पर किसी भी विवाद के कारण, आप इन टीएंडसी के तहत भुगतान दायित्वों से मुक्त नहीं होंगे।

7. बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कुछ प्रोडक्ट्स और सेवाओं की खरीद पर सरचार्ज लगाया जा सकता है। सरचार्ज का भुगतान अनिवार्य है और इसकी दर समय-समय पर बदल सकती है।

8. बैंक द्वारा आपको जारी किया गया मासिक अकाउंट स्टेटमेंट, आपके द्वारा किए गए शुल्कों का प्रथम दृष्टया प्रमाण माना जाएगा। यदि आप स्टेटमेंट में दर्शाए गए किसी भी शुल्क से असहमत हैं, तो इसकी सूचना स्टेटमेंट की तिथि के 30 (तीस) दिनों के भीतर बैंक को लिखित रूप में दी जानी चाहिए। ऐसा न करने पर, अकाउंट स्टेटमेंट में दर्ज शुल्कों को आपके द्वारा स्वीकार किया गया माना जाएगा और आप बैंक को संबंधित राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

9. यदि मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट कार्ड स्वीकार करने से मना करता है या कार्ड पर सरचार्ज लगाता है, तो इसके लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। हालांकि, कार्ड सदस्य को इस शिकायत के बारे में बैंक द्वारा समय-समय पर सूचित किए गए पते पर या निर्दिष्ट कस्टमर सर्विस सेंटर पर तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए।

10. बैंक आपके द्वारा मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट और/या किसी तीसरे पक्ष के आपूर्तिकर्ता से डाक ऑर्डर, टेलीफोन ऑर्डर या इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स (जैसे इंटरनेट) सहित किसी भी माध्यम से खरीदी गई या प्राप्त की गई वस्तुओं/सेवाओं की मर्चेंडाइज, कीमत, दर, क्वालिटी, वारंटी, विशेषाधिकारों, लाभों और सेवाओं में कमी/देरी, डिलीवरी या नॉन-डिलीवरी आदि सहित अन्य सुविधाओं के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार और/या उत्तरदायी नहीं होगा। इससे संबंधित किसी भी विवाद को आपके द्वारा सीधे मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट/तीसरे पक्ष के आपूर्तिकर्ताओं के साथ, जैसा भी मामला हो, सुलझाया जाना चाहिए और ऐसा करने में विफल रहने पर आप बैंक के प्रति अपने किसी भी दायित्व से मुक्त नहीं होंगे।

11. किसी मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट/तीसरे पक्ष के आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध आपके किसी भी दावे को बैंक को आपके द्वारा किए जाने वाले भुगतानों के विरुद्ध सेट-ऑफ या प्रतिदावे का आधार या विषय नहीं बनाया जाएगा।

12. बैंक द्वारा कार्ड जारी किए जाने के बाद किसी भी समय अपने विवेकाधिकार से इसे सस्पेंड, वापस या समाप्त किया जा सकता है, और इसके लिए बैंक आपके प्रति किसी भी प्रकार से उत्तरदायी नहीं होगा। कार्ड और इन टीएंडसी की समाप्ति के साथ ही इससे जुड़े सभी विशेषाधिकार, लाभ और सुविधाएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी।

13. आपको वस्तुओं/सेवाओं की खरीद के लिए भुगतान करना होगा जैसा कि आपको जारी किए गए स्टेटमेंट में दर्शाया गया है, ताकि फाइनेंस शुल्क या फीस से बचा जा सके, भले ही बाद में खरीदारी रद्द कर दी गई हो। रद्द करने के कारण रिफंड का क्रेडिट कार्ड अकाउंट में (रद्द करने का शुल्क घटाकर, यदि लागू हो) तभी किया जाएगा जब वह बैंक को प्राप्त हो जाएगा। रिफंड का भुगतान प्राप्त की गई/प्राप्त की जाने वाली क्रेडिट लिमिट्स के समायोजन के अलावा किसी अन्य माध्यम से नहीं किया जाएगा। यदि क्रेडिट उचित समय के भीतर अकाउंट स्टेटमेंट में नहीं दिखता है, तो आपको तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए।

14. आप कानूनों, नियमों, विनियमों और इन टीएंडसी के नियमों और शर्तों के उल्लंघन में कार्ड का उपयोग नहीं करेंगे। ऐसे किसी भी अवैध या अनधिकृत उपयोग के मामले में, आप बैंक को क्षतिपूर्ति करने और बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति, ब्याज, रूपांतरण, अन्य वित्तीय शुल्क, व्यय, लागत और परिणामों की भरपाई करने का वचन देते हैं, जो बैंक को इस संबंध में आपके किसी कार्य, चूक या लापरवाही के कारण वहन करने पड़ सकते हैं।

15. आप बैंक द्वारा प्रदान किए गए लेनदेन, शुल्क या सेवाओं पर लागू किसी भी वैधानिक बकाया, कर और लेवी का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होंगे।

16. अंतरराष्ट्रीय लेनदेन के मामले में, आप बैंक को विदेशी मुद्रा में आपके द्वारा किए गए लेनदेन की राशि/शुल्कों को भारतीय रुपये के बराबर राशि में उन विदेशी मुद्रा दरों पर परिवर्तित करने के लिए सहमत हैं और इसके द्वारा अधिकृत करते हैं, जो बैंक समय-समय पर निर्धारित कर सकता है।

17. आप इस बात से सहमत हैं कि कार्ड के माध्यम से खरीदी गई वस्तुएं तब तक बैंक की संपत्ति बनी रहेंगी, जब तक कि आप उनसे संबंधित शुल्कों का बैंक को पूर्ण भुगतान नहीं कर देते।

कैश एडवांस

1. बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन, आप बैंक के ऑटोमेटेड टेलर मशीनों (एटीएम), चुनिंदा भागीदार बैंकों और अन्य स्थानों/अनुमत प्रतिष्ठानों से, जैसा कि बैंक द्वारा समय-समय पर पेश किया जा सकता है, कैश निकालने के लिए और बैंक द्वारा समय-समय पर अनुमत किसी भी अन्य कैश के बराबर लेनदेन जैसे कि डिमांड ड्राफ्ट सुविधा के लिए क्रेडिट कार्ड का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी कैश विड्रॉल / कैश एडवांस और कैश के बराबर लेनदेन के लिए, आप आरबीआई और अन्य सरकारी निकायों द्वारा अधिसूचित विदेशी मुद्रा कानून और उसके तहत नियमों सहित अन्य कानूनों, नियमों और विनियमों का पालन करेंगे। आप कैश विड्रॉल / एडवांस के लिए बैंक द्वारा आपको प्रदान किए गए एटीएम कोड/पिन का खुलासा किसी भी व्यक्ति को नहीं करेंगे और किसी भी व्यक्ति द्वारा इसके प्रकटीकरण/खोज को रोकने के लिए हर संभव सावधानी बरतेंगे।

2. आप बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित और/या सूचित की गई अपनी कैश लिमिट राशि तक कैश एडवांस/ कैश विड्रॉल / कैश लेनदेन कर सकते हैं, जो उपलब्ध कैश लिमिट और कैश एडवांस लेनदेन पर लागू होने वाले नियमों और शर्तों के अधीन है।

3. कैश एडवांस पर लगने वाले शुल्क, जैसे कि लेनदेन शुल्क, हैंडलिंग शुल्क आदि और उनसे संबंधित नियम व शर्तें कार्ड सदस्य को लिखित रूप में सूचित की जाएंगी। इन शुल्कों में बदलाव करने का पूर्ण अधिकार बैंक के पास सुरक्षित है और इन्हें कैश निकालने की तिथि से लेकर भुगतान की तिथि तक कार्ड अकाउंट में लगाया जाएगा।

बिलिंग और सेटलमेंट

1. बैंक आपको प्रत्येक बिलिंग अवधि/बिलिंग साइकिल के लिए मासिक अंतराल पर समय-समय पर एक स्टेटमेंट भेजेगा, जिसके दौरान कार्ड अकाउंट में 200 रुपये (केवल दो सौ भारतीय रुपये) से अधिक का कोई भी लेनदेन/शुल्क बकाया होगा। अकाउंट्स का स्टेटमेंट बैंक के पास रजिस्टर्ड आपकी ई-मेल आईडी पर भेजा जाएगा। पेमेंट ड्यू डेट बिलिंग तिथि से अधिकतम 18 दिनों तक की होगी।

2. बैंक, कार्ड अकाउंट में लगे सभी शुल्कों के लिए कार्ड अकाउंट को डेबिट करेगा और आपके द्वारा बैंक को कार्ड अकाउंट में किए गए सभी भुगतानों के साथ-साथ मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट्स से आपके पक्ष में प्राप्त किसी भी क्रेडिट के लिए कार्ड अकाउंट को क्रेडिट करेगा।

3. बैंक, कार्ड सदस्य द्वारा कार्ड के माध्यम से किए गए लेनदेन और/या किए गए भुगतान और/या प्राप्त क्रेडिट के आधार पर अकाउंट्स का मासिक स्टेटमेंट प्रदान करेगा। प्रत्येक बिलिंग अवधि के मासिक स्टेटमेंट में अन्य बातों के साथ-साथ लेनदेन और शुल्कों का विवरण होगा, जैसे कि वस्तुओं और/या सेवाओं की खरीद, कैश एडवांस/ कैश विड्रॉल/कैश लेनदेन, शुल्क, जीएसटी और अन्य शुल्क, तथा कार्ड अकाउंट में प्राप्त भुगतान और क्रेडिट। मासिक स्टेटमेंट में टोटल कुल बकाया राशि के साथ-साथ देय तिथि से पहले आपके द्वारा भुगतान की जाने वाली मिनिमम अमाउंट ड्यू भी दिखाई जाएगी। आप कम से कम मिनिमम अमाउंट ड्यू का भुगतान पर्याप्त समय रहते करेंगे ताकि ऐसी राशियाँ/भुगतान अकाउंट स्टेटमेंट में दर्शाई गई पेमेंट ड्यू डेट को या उससे पहले कार्ड अकाउंट में प्राप्त हो जाएँ। आपके कार्ड अकाउंट में क्रेडिट तभी जमा किया जाएगा जब बैंक को वास्तव में आपसे या आपके बैंक से क्लियर फंड का भुगतान प्राप्त हो जाएगा। क्रेडिट लिमिट से अधिक की राशि सहित कोई भी ओवरड्यू राशि, देरी से भुगतान शुल्क या अन्य लागू शुल्कों से बचने के लिए तत्काल देय होगी।

4. आपके पास मासिक अकाउंट स्टेटमेंट में दर्शाए गए मिनिमम अमाउंट ड्यू का भुगतान करने और शेष राशि के भुगतान को अगले बिलिंग साइकिल के लिए आगे बढ़ाने का विकल्प है। मिनिमम अमाउंट ड्यू का निर्धारण बैंक द्वारा अपने विवेकाधिकार से किया जाएगा। कृपया ध्यान दें कि हर महीने केवल मिनिमम अमाउंट ड्यू का भुगतान करने से पुनर्भुगतान की अवधि कई वर्षों तक बढ़ सकती है, जिसके परिणामस्वरूप आपकी बकाया राशि पर लागू शुल्क लगाए जाएंगे।

5. पेमेंट ड्यू डेट तक न्यूनतम देय राशि का भुगतान न करने पर, क्रेडिट कार्ड पर उपलब्ध सुविधा को वापस लिए जाने या सस्पेंड (अस्थायी या स्थायी रूप से) किए जाने का जोखिम हो सकता है। इस तरह के भुगतान न करने पर शुल्क भी लगाया जा सकता है। बैंक अपने विवेकाधिकार से मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट्स को क्रेडिट कार्ड स्वीकार न करने और/या बैंक द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले वॉर्निंग बुलेटिन में कार्ड नंबर को सूचीबद्ध करके कार्ड को अपने कब्जे में लेने का निर्देश भी दे सकता है।

6. बाहरी चेक/ड्राफ्ट (अर्थात बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित विशिष्ट शहरों के अतिरिक्त अन्य शहरों में देय चेक/ड्राफ्ट, जिनका विवरण अनुरोध पर उपलब्ध कराया जाएगा) के माध्यम से किए गए भुगतान पर प्रोसेसिंग शुल्क देय होगा। बाहरी चेक की प्रोसेसिंग से संबंधित शुल्क का उल्लेख एमआईटीसी में किया गया है। बैंक अपने विवेक से ऐसे स्थानों की सूची और प्रोसेसिंग शुल्क में बदलाव कर सकता है, जिसकी सूचना कार्डधारक को 30 (तीस दिन) पूर्व दी जाएगी।

7. यदि आपके द्वारा दिया गया कोई भी भुगतान साधन बाद में अस्वीकृत हो जाता है, तो बैंक के विवेकाधिकार पर कार्ड की सुविधा सस्पेंड या समाप्त की जा सकती है और शुल्क अनुसूची (शेड्यूल ऑफ चार्जेस) में उल्लिखित शुल्क कार्ड अकाउंट पर लगाया जाएगा। शुल्क की यह राशि बैंक के विवेकाधिकार पर बदली जा सकती है। इसके अतिरिक्त, बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार से उचित कानूनी कार्रवाई शुरू करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है।

8. कार्ड अकाउंट के लिए मिलने वाले किसी भी और सभी भुगतानों को बैंक के आंतरिक लेखांकन मानकों और क्रेडिट दिशानिर्देशों के अनुसार हमारे द्वारा समायोजित या विनियोजित किया जा सकता है, भले ही आपकी ओर से या भुगतान करने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई भी निर्देश या विशिष्ट विनियोजन दिया गया हो।

9. बैंक द्वारा आपको अकाउंट्स के डुप्लीकेट मासिक स्टेटमेंट आपके अनुरोध से पिछले बारह महीनों तक की अवधि के लिए ही प्रदान किए जाएंगे। यह सेवा शुल्क अनुसूची (शेड्यूल ऑफ चार्जेस) में निर्दिष्ट सेवा शुल्क के भुगतान के अधीन होगी, जिसे बैंक द्वारा कार्डधारक को 30 (तीस) दिनों का पूर्व नोटिस देकर समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

10. यदि आप अपने एनआरओ अकाउंट से डेबिट के माध्यम से अपने कार्ड अकाउंट का भुगतान कर रहे हैं, तो आप यह आश्वासन देते हैं कि ऐसा भुगतान एनआरओ अकाउंट में मौजूद उस शेष राशि से किया गया है जो भारत में आपकी वैध प्राप्तियों से अर्जित है, न कि किसी अन्य व्यक्ति से उधार लेकर या किसी अन्य एनआरओ अकाउंट से किए गए ट्रांसफर के माध्यम से। यदि आप इस आश्वासन का उल्लंघन करते हैं, तो आप सहमत हैं कि आप फेमा के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त, आप पुष्टि करते हैं और आश्वासन देते हैं कि आपके एनआरओ अकाउंट की शेष राशि से भारत के बाहर भेजी गई कुल राशि, एनआरओ अकाउंट से एनआरई अकाउंट में ट्रांसफर की गई राशि, क्रेडिट कार्ड बिल के भुगतान और किसी अन्य अनुरोध के माध्यम से ट्रांसफर की जाने वाली राशि का कुल योग, किसी भी बैंक के माध्यम से एक विशेष वितीय वर्ष के दौरान 1,000,000 यूएसडी (दस लाख अमेरिकी डॉलर) या किसी अन्य मुद्रा में इसके समकक्ष राशि से अधिक नहीं होगा।

11. एनआरओ अकाउंट से डेबिट के माध्यम से क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान के लिए उपयोग की गई धनराशि के संबंध में, आप पुष्टि करते हैं कि भारत में कर योग्य आय पर लागू कर कानूनों (सीबीडीटी नियमों सहित) के अनुसार उचित करों का भुगतान कर दिया गया है और कार्ड धारक तथा एनआरओ खाता धारक एक ही व्यक्ति हैं।

ऑटो डेबिट सुविधा / एनएसीएच / ई-एनएसीएच मैंडेट के माध्यम से भुगतान

आप बैंक को, भारत के रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए एनएसीएच मैंडेट या ई-एनएसीएच मैंडेट जैसे भुगतान मैंडेट के माध्यम से, संबंधित बिलिंग साइकिल के लिए बैंक द्वारा जारी अकाउंट स्टेटमेंट के तहत देय राशि के भुगतान हेतु, बैंक या किसी अन्य बैंक में रखे गए अपने अकाउंट को सीधे डेबिट करने के लिए अधिकृत कर सकते हैं। यदि आप ई-एनएसीएच सेवाओं का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आपको इसकी निर्धारित औपचारिकताओं का पालन करना होगा और इसके लिए अलग से लागू नियमों और शर्तों पर अपनी सहमति देनी होगी।

कार्ड सदस्य बकाया कार्ड देय राशि के भुगतान के लिए ऑटो डेबिट सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। ऑटो डेबिट सुविधा का लाभ उठाने पर, बैंक के पास रखे गए कार्ड सदस्य के बैंक अकाउंट (जिसका विवरण बैंक को प्रदान किया जाएगा) से, ऊपर बताए अनुसार देय कुल बकाया राशि के लिए, कार्ड सदस्य को भेजे गए अकाउंट स्टेटमेंट में दर्शाई गई पेमेंट ड्यू डेट को राशि डेबिट कर ली जाएगी। जिन मामलों में एनएसीएच मैंडेट का उपयोग करके भुगतान किया जाता है, वहां एनएसीएच मैंडेट/ई-एनएसीएच को पेमेंट ड्यू डेट को कार्ड के तहत सदस्य राशियों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा। हालांकि, यदि पेमेंट ड्यू डेट किसी गैर-कार्य दिवस पर पड़ती है, तो बैंक अकाउंट का ऑटो-डेबिट या एनएसीएच/ई-एनएसीएच मैंडेट की प्रस्तुति पिछले कार्य दिवस पर की जाएगी।

पेमेंट ड्यू डेट को उक्त बैंक अकाउंट में पर्याप्त धनराशि न होने की स्थिति में, कार्ड सदस्य, कार्ड देय राशि के अतिरिक्त, देरी होने के कारण लागू होने वाले सभी शुल्कों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे। कार्ड सदस्य सहमत हैं और पुष्टि

करते हैं कि ऑटो डेबिट/एनएसीएच/ई-एनएसीएच सुविधा का लाभ उठाने के लिए कार्ड सदस्य द्वारा बैंक को प्रस्तुत किए गए सभी विवरण सही और पूर्ण होंगे। यदि दी गई किसी अधूरी या गलत जानकारी के कारण या किसी भी अन्य कारण से ई-एनएसीएच सेवाओं/ऑटो डेबिट लेनदेन में देरी होती है या वह निष्पादित नहीं होता है, तो इसके लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा। कार्ड सदस्य आगे सहमत हैं और कार्ड सदस्य के बैंक को बैंक के पक्ष में जारी ई-एनएसीएच/एनएसीएच मैंडेट रजिस्ट्रेशन/डेबिट निर्देशों के बारे में सूचित करने और बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना उक्त बैंक अकाउंट को बंद न करने का वचन देते हैं। ऐसे निर्देशों को बैंक की पूर्व लिखित सहमति के बिना वापस या रद्द नहीं किया जा सकता है। कार्ड सदस्य इसके द्वारा सहमत हैं और सहमति देते हैं कि बकाया देय राशि को ऑटो रिकवरी प्रक्रिया के हिस्से के रूप में, बैंक के सेट-ऑफ के अधिकार का प्रयोग करते हुए, बैंक के पास रखे गए कार्ड सदस्य के किसी भी सक्रिय अकाउंट से भी वसूल किया जा सकता है।

फाइनेंस शुल्क

1. फाइनेंस शुल्क सभी शुल्कों पर मासिक प्रतिशत दर पर देय होते हैं, जिनमें कैश एडवांस भी शामिल हैं, जो लेनदेन करने की तिथि से लेकर उनके पूर्ण भुगतान होने तक लागू होते हैं।
2. कैश विड्रॉल और अन्य क्रेडिट कार्ड अकाउंट से बैलेंस ट्रांसफर पर फाइनेंस शुल्क, कैश या कैश के बराबर विड्रॉल की तारीख से और ऐसे बैलेंस ट्रांसफर के लिए बैंकर्स चेक जारी होने की तारीख से तत्काल प्रभावी होते हैं। इसके विपरीत, खरीदारी के मामले में फाइनेंस शुल्क केवल तभी लागू होते हैं जब पेमेंट ड्यू डेट द्वारा देय कुल बकाया राशि या उसके किसी भी हिस्से का पूर्ण भुगतान नहीं किया जाता है और उसे पिछले बिलिंग साइकिल से अगले बिलिंग साइकिल के लिए आगे बढ़ा दिया जाता है।
3. फाइनेंस शुल्क, यदि देय हो, तो प्रत्येक बिलिंग साइकिल की अंतिम तिथि को आपके कार्ड अकाउंट से डेबिट कर दिए जाएंगे और आपके अकाउंट स्टेटमेंट में दिखाई देंगे।
4. आप अपने आगे ले जाई गई कुल बकाया राशि पर बैंक द्वारा निर्धारित दर से फाइनेंस शुल्क का भुगतान करेंगे, जिसमें बैंक द्वारा समय-समय पर संशोधन किया जा सकता है और जिसकी सूचना आपको दी जाएगी।
5. बैलेंस ट्रांसफर जैसी कुछ सुविधाओं के लिए फाइनेंस शुल्क की दर भिन्न हो सकती है और बैंक समय-समय पर उक्त दर निर्धारित करेगा।
6. ऊपर बताए गए फाइनेंस शुल्क, इन टीएंडसी की समाप्ति या कार्ड अकाउंट बंद होने के बाद भी तब तक देय रहेंगे, जब तक कि कार्ड अकाउंट की पूरी बकाया राशि का भुगतान नहीं हो जाता।
7. बैंक अपने विवेक से किसी भी समय, आपको सूचित करते हुए, अपनी सभी या कुछ सुविधाओं के लिए फाइनेंस शुल्कों में बदलाव कर सकता है।

विदेशों में किए गए लेनदेन के लिए शुल्क

कार्ड सदस्य यह घोषणा करता है कि उसे जारी किए गए क्रेडिट कार्ड का भारत के बाहर/विदेशों में उपयोग फेमा और/या आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी और संशोधित अन्य प्रासंगिक विनिमय नियंत्रण विनियमों के पूर्णतः अनुरूप होगा। यदि कार्ड सदस्य आरबीआई के विनिमय नियंत्रण दिशानिर्देशों के अनुसार अपनी एलिजिबिलिटी से अधिक खर्च करता है, तो कार्ड सदस्य इसकी सूचना तुरंत बैंक को लिखित रूप में देगा। यदि आरबीआई द्वारा निर्धारित ऐसे किसी भी शुल्क के लिए पासपोर्ट पर पृष्ठांकन (एंडोर्समेंट) की आवश्यकता होती है, तो पासपोर्ट पर पृष्ठांकन कराने की पूरी जिम्मेदारी कार्ड सदस्य की होगी। कार्ड सदस्य द्वारा आरबीआई द्वारा जारी प्रचलित विदेशी मुद्रा नियंत्रण दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल रहने की स्थिति में, वह विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (समय-समय पर संशोधित) के तहत किसी भी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा, और बैंक के अनुरोध पर या आरबीआई द्वारा कार्ड सुविधा से वंचित कर दिया जाएगा और इसके

परिणामस्वरूप कार्ड रद्द कर दिया जाएगा। समय-समय पर जारी आरबीआई दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित विदेशी मुद्रा योग्यता से अधिक होने के कारण किसी शुल्क के अस्वीकृत होने से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली किसी भी हानि या क्षति के संबंध में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। यदि कोई लेनदेन भारतीय रुपये के अलावा किसी अन्य मुद्रा में किया जाता है, तो उस लेनदेन को भारतीय रुपये में परिवर्तित किया जाएगा। यह रूपांतरण उस तारीख को होगा जिस दिन लेनदेन का निपटान बैंक के साथ किया जाता है, जो लेनदेन किए जाने की तारीख से भिन्न हो सकती है। यदि लेनदेन अमेरिकी डॉलर के अलावा अन्य विदेशी मुद्राओं में किया जाता है, तो रूपांतरण पहले अमेरिकी डॉलर के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें चार्ज की गई राशि को अमेरिकी डॉलर में बदला जाएगा और उसके बाद संबंधित अमेरिकी डॉलर की राशि को भारतीय रुपये में बदला जाएगा। यह रूपांतरण निपटान की तारीख पर कार्ड नेटवर्क द्वारा प्रदान की गई विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) दरों पर किया जाएगा, जिसके लिए फॉरेक्स मार्कअप शुल्क लगाया जा सकता है।

अन्य फीस / शुल्क

आप बैंक द्वारा किए गए और/या लगाए गए सभी खर्चों का भुगतान करने के लिए सहमत हैं, जिनमें नवीनीकरण, रिप्लेसमेंट, डुप्लीकेट स्टेटमेंट आदि के शुल्क, कैश एडवांस पर लेनदेन फीस, आउटस्टेशन फीस के लिए कलेक्शन चार्ज, कानूनी लागत, बैंक द्वारा लगाए गए और/या लगाए गए कोई भी दूसरे फीस/शुल्क वगैरह शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

देरी से भुगतान शुल्क

यदि आप पेमेंट ड्यू डेट तक मासिक विवरण में दर्शाए गए मिनिमम अमाउंट ड्यू का भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो शुल्क अनुसूची में उल्लिखित देरी से भुगतान शुल्क कार्ड अकाउंट पर लगाया जाएगा। यह शुल्क बैंक के विवेक पर भिन्न हो सकता है और शुल्क लगाने से 30 (तीस) दिन पहले आपको सूचित किया जाएगा। कार्ड पर लागू होने वाले सभी शुल्क वेबसाइट एप्लिकेशन में भी प्रदर्शित किए जाएंगे।

जीएसटी

आप समय-समय पर लागू होने वाले निर्धारित शुल्क, फाइनेंस शुल्क, देरी से भुगतान भुगतान शुल्क, अन्य फीस / शुल्क आदि के संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित दर पर जीएसटी का भुगतान करने के लिए सहमत हैं।

पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर / मोबाइल पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर

बैंक ने इंडस्ट्री के नियमों के अनुसार उपयुक्त उपाय किए हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आप सुरक्षित कार्ड प्रमाणीकरण का उपयोग करके लेनदेन कर सकें। एक कार्ड सदस्य के रूप में, आपको कार्ड का उपयोग करके किए गए लेनदेन की विशेषताओं और प्रभाव के बारे में पता होना चाहिए क्योंकि आप आपको जारी किए गए कार्ड के किसी भी उपयोग के लिए जिम्मेदार होंगे। कार्ड सदस्य को कार्ड का उपयोग करने में सक्षम बनाने के लिए, उसे एक व्यक्तिगत पहचान संख्या (पिन)/ मोबाइल व्यक्तिगत पहचान संख्या (एम-पिन) जारी की जाएगी। यह पिन/एम-पिन डिजिटल रूप से सेट किया जा सकता है और बाद में कार्ड सदस्य द्वारा, अपने जोखिम पर, एटीएम में या द फेडरल बैंक मोबाइल/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से या बैंक कस्टमर केयर सेंटर पर बदला जा सकता है। पिन/एम-पिन, कार्ड अकाउंट तक एक्सेस प्रदान करता है और कार्ड सदस्य, पिन/एम-पिन के उपयोग, गोपनीयता और सुरक्षा के साथ-साथ ऐसे पिन/एम-पिन का उपयोग करके कार्ड अकाउंट में दर्ज किए गए सभी आदेशों और सूचना परिवर्तनों के लिए एकमात्र जिम्मेदारी स्वीकार करता है। कार्ड सदस्य पिन/एम-पिन को रिकॉर्ड नहीं करेगा जिससे किसी तीसरे पक्ष को इसकी एक्सेस मिल सके। कार्ड सदस्य इसके द्वारा बैंक को पिन/एम-पिन द्वारा प्रमाणित लेनदेन और निर्देशों को पूरा करने के लिए अधिकृत करता है और कार्ड सदस्य इसे रद्द नहीं करेगा। बैंक के पास कार्ड सदस्य के पिन के वेरिफिकेशन के माध्यम के अलावा कार्ड सदस्य द्वारा भेजे गए या भेजे गए माने जाने वाले लेनदेन निर्देश की प्रामाणिकता को पुष्टि करने का कोई दायित्व नहीं है। कार्ड सदस्य हर

समय पिन की सुरक्षा बनाए रखने के लिए यहां बताए गए कदमों सहित सभी आवश्यक और उचित कदम उठाएगा। यदि कार्ड सदस्य सुरक्षा आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है जिसके परिणामस्वरूप बैंक/ कार्ड सदस्य को कोई नुकसान होता है, तो वह ऐसे किसी भी नुकसान के लिए बैंक को जिम्मेदार नहीं ठहराएगा और कार्ड सदस्य, बैंक को होने वाले किसी भी नुकसान/देयता के लिए बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा। बैंक, अपने पूर्ण विवेक से, यहां बताए गए प्रावधानों के अधीन और समय-समय पर बैंक द्वारा निर्दिष्ट अनुसार मौजूदा कार्ड पर एक नया पिन जारी कर सकता है। कार्ड और/या पिन/एम-पिन के किसी भी अनुचित/धोखाधड़ी/अनधिकृत/डुप्लिकेट/गलत उपयोग के मामले में कार्ड सदस्य, बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराएगा। बैंक किसी भी तीसरे पक्ष द्वारा कार्ड के उपयोग/दुरुपयोग से जुड़े किसी भी परिणाम के लिए भी उत्तरदायी नहीं होगा, क्योंकि कार्ड किसी तीसरे पक्ष के हाथों में पड़ गया है या पिन/एम-पिन किसी तीसरे पक्ष की जानकारी में आ गया है। यदि कोई तीसरा पक्ष कार्ड अकाउंट सहित सेवाओं तक एक्सेस प्राप्त करता है, तो कार्ड सदस्य जिम्मेदार होगा और ऐसी एक्सेस और उपयोग के आधार पर या उससे संबंधित तीसरे पक्षों द्वारा ऐसे दुरुपयोग/उपयोग से उत्पन्न होने वाली किसी भी देयता, लागत या क्षति के विरुद्ध बैंक की क्षतिपूर्ति करेगा।

मौजूदा सेविंग अकाउंट के साथ कार्ड को लिंक करना

कार्ड सदस्य यह स्वीकार करता है और सहमत है कि उसका कार्ड, बैंक के विवेक पर, उसके मौजूदा फेडरल बैंक सेविंग अकाउंट, यदि कोई हो, से लिंक किया जाएगा। एक से अधिक अकाउंट्स के मामले में, ग्राहक कार्ड अकाउंट के साथ लिंक किए जाने वाले सेविंग अकाउंट का चयन कर सकता है। कार्ड सदस्य आगे यह स्वीकार करता है और समझता है कि इससे वह इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं और फेड मोबाइल सुविधा के माध्यम से, बैंक के सेविंग अकाउंट के तहत उसे प्रदान की गई मौजूदा यूजर आईडी का उपयोग करके अपने कार्ड अकाउंट तक पहुँच एक्सेस करने में सक्षम होगा। कार्ड सदस्य आगे बैंक को उपरोक्त उद्देश्य के लिए कार्ड सदस्य द्वारा प्रदान किए गए केवाईसी विवरणों का उपयोग करने की सहमति और अधिकार देता है। कार्ड सदस्य समझता है कि वह फेडरल बैंक कस्टमर केयर को कॉल करके अपने सेविंग अकाउंट को अपने कार्ड से डीलिंक कर सकता है।

अलर्ट

आप इस बात से सहमत हैं कि बैंक आपको आपके कार्ड अकाउंट की स्थिति के बारे में सूचित रखेगा और समय-समय पर एसएमएस और/या ई-मेल, या किसी अन्य संचार माध्यम से संदेश भेजकर कोई अन्य जानकारी प्रदान करेगा और आपको इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

रिवॉर्ड्स प्रोग्राम

फेडरल बैंक रिवॉर्ड्स प्रोग्राम योग्य कार्डधारक/धारकों को समय-समय पर बैंक द्वारा निर्धारित किए गए अनुसार उनके फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड पर किए गए खर्चों से पॉइंट्स जमा करने की सुविधा देता है। कार्ड पर जमा किए गए पॉइंट्स को इनके लिए रिडीम किया जा सकता है

- वस्तुओं की खरीद
- गिफ्ट वाउचर्स

रिवॉर्ड प्रोग्राम के लिए नियम और शर्तें

1. कार्ड सदस्य को कार्ड अकाउंट को एक्टिवेट करने और अपने रिवॉर्ड पॉइंट्स और अन्य प्रोग्राम लाभों का उपयोग शुरू करने के लिए अपनी कस्टमर आईडी, नाम (जैसा कि उनके डेबिट / क्रेडिट कार्ड पर अंकित है) और बैंक रिकॉर्ड के अनुसार जन्म तिथि का उपयोग करके ऑनलाइन रजिस्टर करना होगा।

2. कार्ड सदस्य जो नेट बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करते हैं, वे अपने नेट बैंकिंग अकाउंट में लॉग इन करके और रिवॉर्ड्स विकल्प के माध्यम से नेविगेट करके पंजीकरण कर सकते हैं।

3. बैंक का रिवॉर्ड्स प्रोग्राम योग्य कार्ड सदस्यों को लेनदेन और अन्य कार्यों के लिए पॉइंट्स जमा करने की सुविधा देता है, जैसा कि बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है। ऐसे लेनदेन पर जमा किए गए पॉइंट्स को विभिन्न प्रकार के रिवार्ड्स के लिए बदला जा सकता है, जो रिवॉर्ड्स प्रोग्राम के माध्यम से समय-समय पर पेश किए जा सकते हैं।

4. रिवॉर्ड्स रिडेम्पशन के लिए योग्यता मानदंडों की बैंक द्वारा समय-समय पर अपने विवेक से कार्ड सदस्य को पूर्व सूचना दिए बिना समीक्षा की जाएगी।

5. कार्ड अकाउंट्स की पहचान प्राइमरी कार्ड सदस्य के ग्राहक पहचान संख्या (कस्ट आईडी) द्वारा की जाएगी, जैसा कि बैंक में रखे गए ग्राहक रिकॉर्ड द्वारा स्थापित किया गया है।

6. बैंक, अपने पूर्ण विवेक पर और कार्ड सदस्य को पूर्व सूचना दिए बिना, लॉयल्टी रिवॉर्ड्स प्रोग्राम में कार्डधारक की सदस्यता को वापस लेने / बंद करने और किसी भी अर्जित पॉइंट्सको रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

रिवॉर्ड्स प्रोग्राम से संबंधित अधिक जानकारी के लिए, कृपया www.FederalRewards.in पर जाएं

कस्टमर केयर सेवाएं

1. बैंक आपको टेलीफोन के माध्यम से आपके कार्ड अकाउंट पर जानकारी प्राप्त करने और लेनदेन करने की सुविधा प्रदान करेगा। ऐसी सुविधाएं बैंक द्वारा या तो मैन्युअल रूप से या स्वचालित प्रणालियों के माध्यम से प्रदान की जा सकती हैं। हालांकि, बैंक अपने विवेकाधिकार से टेलीफोन पर दी जाने वाली जानकारी या किए जाने वाले लेनदेन के प्रकार पर निर्णय ले सकता है। बैंक आपके अनुरोध को प्रोसेस करने से पहले आपकी पहचान प्रमाणित करने का अधिकार भी सुरक्षित रखता है। इस सुविधा के उपयोग के लिए आपको एक विशिष्ट टेलीफोन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर (टीपीआईएन) भी दिया जा सकता है।

2. आप इस बात से सहमत हैं कि आपके द्वारा दिए गए ऐसे निर्देशों पर बैंक द्वारा सच्ची मंशा से कार्य करने के कारण आप बैंक को उत्तरदायी नहीं ठहराएंगे।

3. बैंक अपने पूर्ण विवेक से ऐसे निर्देशों को रिकॉर्ड कर सकता है और किसी भी कार्यवाही में साक्ष्य के रूप में ऐसे टेलीफोनिक निर्देशों के प्रतिलेखों (ट्रांसक्रिप्ट्स) पर भरोसा कर सकता है।

4. आपके अनुरोध पर बैंक आपको फैक्स द्वारा (आपके द्वारा दिए गए फैक्स नंबर पर) कार्ड अकाउंट के संबंध में वित्तीय जानकारी (आपके द्वारा मांगी गई) भेज सकता है जो निजी और/या गोपनीय प्रकृति की हो सकती है, और यदि ऐसी जानकारी किसी तीसरे पक्ष के संज्ञान में आती है, तो आप बैंक को किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं ठहराएंगे।

5. ऐसे निर्देशों का पालन करने में, फेडरल बैंक अपने सर्वोत्तम प्रयासों के आधार पर कार्य करेगा और बैंक की ओर से आपके ऐसे किसी भी निर्देश पर तुरंत या बिल्कुल भी कार्रवाई करने में किसी भी देरी या असमर्थता के कारण उसे उत्तरदायी नहीं ठहराया जाएगा।

6. बैंक के पास ऐसे निर्देशों का पालन न करने का अधिकार सुरक्षित है जहाँ बैंक के पास यह विश्वास करने के कारण हों कि निर्देश वास्तविक नहीं हैं, या अपने विवेकाधिकार से इस सुविधा को वापस लेने या सस्पेंड करने का अधिकार सुरक्षित है।

7. बैंक द्वारा किए गए किसी भी लेनदेन के विवरण या जानकारी में विसंगति होने की स्थिति में, आपको बैंक से वह सूचना प्राप्त होने के दस दिनों के भीतर इस विसंगति के बारे में सूचित करना होगा, जिससे ऐसी विसंगति का पता चला है।

8. बैंक द्वारा आपको उक्त सुविधा प्रदान करने के प्रतिफल में, आप इस सुविधा के उपयोग के परिणामस्वरूप या इसके कारण बैंक को होने वाली किसी भी कार्रवाई, दावे, मांग, कार्यवाही, हानि, क्षति, लागत, शुल्क और व्यय के विरुद्ध बैंक की क्षतिपूर्ति करेंगे और उसे सुरक्षित रखेंगे।

इंटरनेट लेनदेन

1. आप इस बात से सहमत हैं कि कोई भी इंटरनेट लेनदेन करते समय, आपके द्वारा किया गया विदेशी मुद्रा का कोई भी ऑउटफ्लो केवल फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और अन्य लागू अधिनियमों के अनुसार होगा, जिसमें उनके तहत कोई भी नियम, विनियम और समय-समय पर लागू होने वाले अन्य कानून शामिल हैं। किसी भी व्यक्ति द्वारा अकाउंट जानकारी के अनधिकृत और अवैध उपयोग से आपकी सुरक्षा के लिए बैंक अपने विवेक से आपके कुछ इंटरनेट लेनदेन को अस्वीकार कर सकता है।

2. इस सुविधा का उपयोग करने के लिए आपको एक विशिष्ट पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर (पिन) भी दिया जा सकता है। इस नंबर की सुरक्षा के लिए आप व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे और आप इसे किसी भी व्यक्ति के साथ साझा या प्रकट नहीं करेंगे।

3. आप इस बात से सहमत हैं कि आप कार्ड/कार्ड नंबर का उपयोग गेमिंग और अश्लीलता से संबंधित उन वेबसाइटों पर जाने के लिए नहीं करेंगे जिन्हें भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित और अवैध घोषित किया गया है। ऐसा करने पर आप अपने विरुद्ध होने वाली किसी भी कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हो सकते हैं और बैंक इसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

4. वेबसाइटों पर उपलब्ध सूचना सामग्री में बदलाव किया जा सकता है। बैंक की वेबसाइट का अनधिकृत उपयोग सख्त वर्जित है, जिसमें बैंक के सिस्टम में प्रवेश करना, पासवर्ड का दुरुपयोग करना या वेबसाइट पर दी गई किसी भी जानकारी का गलत इस्तेमाल करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। ऐसा करने पर आप सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और समय-समय पर लागू होने वाले अन्य कानूनों के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई के पात्र होंगे।

5. बैंक द्वारा आपको इंटरनेट बैंकिंग सुविधा प्रदान करने के बदले, आप इस सुविधा के उपयोग के परिणामस्वरूप या इसके कारण बैंक को होने वाली किसी भी कार्रवाई, दावे, मांग, कानूनी कार्यवाही, हानि, क्षति, लागत, शुल्क और खर्च के विरुद्ध बैंक की क्षतिपूर्ति करेंगे और उसे सुरक्षित रखेंगे।

6. बैंक के पास बिना कोई कारण बताए या बिना किसी पूर्व सूचना के, अपने विवेक से किसी भी यूज़र एक्सेस को समाप्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

वापस किए गए भुगतान:

यदि कार्ड सदस्य द्वारा अपने कार्ड देय राशि के भुगतान के लिए दिया गया चेक, या कोई अन्य भुगतान साधन या निर्देश अस्वीकृत हो जाता है, तो इसे कार्ड सदस्य को वापस नहीं किया जाएगा। बैंक के पास कार्ड सदस्य के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने का अधिकार सुरक्षित है और वह अपने विवेक से शुल्क लगाएगा। ऐसे मामलों में, बैंक अपने विवेक से कार्ड को अस्थायी/स्थायी रूप से रद्द कर सकता है। कार्ड सदस्य चेक वापसी शुल्क और देरी से भुगतान शुल्क, या बैंक द्वारा तय किए गए किसी भी अन्य शुल्क का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।

वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की शर्तें

ये नियम और शर्तें ("शर्तें") बैंक द्वारा दी जाने वाली वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सुविधाओं के प्रावधान पर लागू होती हैं और उन्हें विनियमित करती हैं। ये नियम और शर्तें बैंक की क्रेडिट कार्ड सुविधाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों, बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों और बैंक के सेविंग अकाउंट के नियमों और शर्तों ("प्राइमरी शर्तें") के अतिरिक्त हैं और इनका कोई अपवाद नहीं है। इन शर्तों और मुख्य शर्तें के बीच किसी भी विसंगति की स्थिति में, यहाँ निर्दिष्ट शर्तें प्रभावी होंगी। यहाँ उपयोग किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए सभी बड़े अक्षरों वाले शब्दों के वही तात्पर्य होंगे जो प्राइमरी शर्तें में दिए गए हैं।

- "अकाउंट/ अकाउंट्स" का तात्पर्य बैंक की इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं को नियंत्रित करने वाले नियमों और शर्तों तथा बैंक के सेविंग अकाउंट के नियमों और शर्तों में दी गई परिभाषा और अर्थ के अनुसार होगा।
- "वर्चुअल क्रेडिट कार्ड" का तात्पर्य है प्राइमरी कार्ड सदस्य के मौजूदा कार्ड अकाउंट पर उन्हें जारी किया गया कार्ड का डिजिटल रूप। यह वर्चुअल क्रेडिट कार्ड एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज के रूप में बनाया जाएगा और प्राइमरी कार्ड सदस्य के अकाउंट/अकाउंटस के लॉग-इन सेक्शन में स्टोर किया जाएगा।
- "वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सदस्य" का तात्पर्य वह प्राइमरी कार्ड सदस्य है, जिसे बैंक द्वारा प्राइमरी शर्तें और इन शर्तों के अधीन वर्चुअल क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है।
- वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सुविधा का लाभ उठाने के लिए सहमति देकर, यह माना जाएगा कि प्राइमरी कार्ड सदस्य ने यहाँ नीचे दी गई शर्तों को स्वीकार कर लिया है और वे इनसे सहमत हैं।
- प्राइमरी कार्ड सदस्य को डिफ़ॉल्ट रूप से एक वर्चुअल कार्ड जारी किया जाएगा। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से कार्ड सदस्य अपनी पसंद की क्रेडिट लिमिट के भीतर ऑनलाइन लेनदेन कर सकते हैं। हालांकि, कार्ड सदस्य को किसी भी स्थिति में अपने वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट को अपने प्राइमरी क्रेडिट कार्ड की निर्धारित क्रेडिट लिमिट से अधिक करने की अनुमति नहीं होगी।
- वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से की गई खरीदारी का विवरण स्टेटमेंट में दर्शाया जाएगा और प्राइमरी कार्ड सदस्य को इसके लिए कोई अलग स्टेटमेंट नहीं भेजा जाएगा। प्राइमरी कार्ड सदस्य को फिजिकल कार्ड और वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के उपयोग से किए गए कुल खर्च का एक ही भुगतान करना होगा।
- वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के मुख्य विवरण जैसे कार्ड नंबर, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की समाप्ति तिथि, सीवीवी आदि केवल अकाउंट के लॉग-इन सेक्शन में उपलब्ध वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेक्शन में ही देखे जा सकेंगे। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की क्रेडिट लिमिट प्राइमरी कार्ड के समान होगी। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड को हॉट-लिस्ट या ब्लॉक करने की प्रक्रिया अकाउंट के लॉग-इन सेक्शन में उपलब्ध वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सेक्शन के अंतर्गत संबंधित विकल्पों पर क्लिक करके की जा सकती है। यदि वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सदस्य कार्ड अकाउंट को बंद कर देता है, तो भी वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सुविधा जारी रहेगी।
- वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का उपयोग केवल ऑनलाइन लेनदेन तक ही सीमित रहेगा। कार्ड सदस्य इस बात से अवगत है कि ऑनलाइन लेनदेन के मामले में, वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से की गई खरीदारी के समय चार्ज स्लिप पर कार्ड सदस्य द्वारा हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे। तदनुसार, कार्ड सदस्य यह स्वीकार करता है कि ऐसी खरीदारी या शुल्क की प्रामाणिकता या वैधता के संबंध में किसी भी कारण से कोई विवाद होने की स्थिति में भी, कार्ड सदस्य बैंक को सभी बकाया राशि का भुगतान करेगा और किसी भी परिस्थिति में बैंक को इसके लिए उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं ठहराएगा।
- यदि कोई मर्चेंट वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भुगतान स्वीकार करने से इनकार करता है, तो बैंक इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की सुविधा केवल वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सदस्य को ऑनलाइन भुगतान करने

की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से है और यह कार्ड सदस्य द्वारा वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके किए गए लेनदेन की गुणवत्ता, सुरक्षा या वैधता सुनिश्चित नहीं करती है।

- वर्चुअल क्रेडिट कार्ड का उपयोग इन नियमों और शर्तों की स्वीकृति माना जाएगा। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड सदस्य भुगतान के लिए इन शर्तों के अधीन बाध्य और उत्तरदायी होगा, और वह वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के उपयोग पर देय सभी शुल्कों का भुगतान सुनिश्चित करेगा। वर्चुअल क्रेडिट कार्ड की सुविधा एक विशेष सुविधा है, जो बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित शुल्क या दरों के अधीन होगी।

सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की शर्तें

1. ये नियम और शर्तें ("नियम") द फेडरल बैंक द्वारा प्रदान किए गए सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर लागू होती हैं और उसे विनियमित करती हैं, और ये क्रेडिट कार्ड सुविधाओं और बैंक की सावधि जमा (टर्म डिपॉजिट) को नियंत्रित करने वाले नियम और शर्तों ("प्राइमरी नियम और शर्तें") के अतिरिक्त हैं इनका कोई अपवाद नहीं है, जैसा कि www.federal.bank.in पर उपलब्ध है। इन नियमों और प्राइमरी शर्तें और शर्तों के बीच किसी भी असंगति या विसंगति के मामले में, ये नियम प्रभावी होंगे। यहाँ उपयोग किए गए लेकिन परिभाषित नहीं किए गए सभी बड़े अक्षरों वाले शब्दों का वही अर्थ होगा जो प्राइमरी शर्तें और शर्तों के तहत निर्दिष्ट है।

2. "कार्डधारक" का तात्पर्य वह व्यक्ति है जिसका बैंक में टर्म डिपॉजिट है और जो बैंक के सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करता है, जिसे यहाँ निर्दिष्ट प्राइमरी शर्तें और नियमों एवं शर्तों के अधीन जारी किया जाएगा। "सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड" का तात्पर्य बैंक द्वारा कार्डधारक को उसके द्वारा बैंक में रखे गए टर्म डिपॉजिट के बदले जारी किया गया फेडरल बैंक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड है।

3. सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने की योग्यता के लिए, कार्डधारक को फेडरल बैंक के पास न्यूनतम 25,000 रुपये (निवासी ग्राहकों के लिए) की फिक्स्ड डिपॉजिट रखना अनिवार्य होगा। बैंक एनआर ग्राहकों के लिए सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड जारी नहीं करता है।

4. सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड पर क्रेडिट लिमिट फिक्स्ड डिपॉजिट राशि का 80% होगी, जो न्यूनतम 20,000/- रुपये और अधिकतम 10,00,000 रुपये की क्रेडिट लिमिट के अधीन है। न्यूनतम क्रेडिट लिमिट में समय-समय पर बैंक के विवेकाधिकार से बदलाव किया जा सकता है और इसकी सूचना कार्डधारक को बैंक द्वारा उचित समझे जाने वाले माध्यम और तरीके से दी जाएगी। क्रेडिट लिमिट्स में कोई भी वृद्धि केवल आपकी सहमति प्राप्त करने के बाद ही प्रभावी की जाएगी।

5. कार्डधारक को निर्दिष्ट तरीके से टर्म डिपॉजिट करने और बैंक द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट प्रासंगिक दस्तावेजों को निष्पादित करने की आवश्यकता होगी। कार्डधारक को केवल बैंक शाखा में, बैंक की **वेबसाइट, फेडमोबाइल* या ऐसे अन्य वैकल्पिक चैनलों** के माध्यम से टर्म डिपॉजिट करने की आवश्यकता होगी, जैसा कि बैंक द्वारा समय-समय पर अपने विवेकाधिकार से तय और सूचित किया जाएगा। कार्डधारक/बैंक द्वारा कार्ड रद्द किए जाने की स्थिति में, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड से जुड़ी टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट करते समय कार्डधारक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार जारी रहेगी।

6. टर्म डिपॉजिट की समाप्ति
   यदि कार्ड सदस्य आवेदन वापस ले लेता है या उसे जारी किए गए क्रेडिट कार्ड को रद्द कर देता है या यदि बैंक किसी भी कारण से आवेदन को अस्वीकार कर देता है या क्रेडिट कार्ड को समाप्त/रद्द कर देता है, तो कार्डधारक निम्नलिखित माध्यमों से लागू क्लोज़र मानदंडों के अनुसार विशेष रूप से क्रेडिट कार्ड को सुरक्षित करने के लिए जमा की गई टर्म डिपॉजिट को बंद करने का अनुरोध कर सकता है:
   ए. हमारे ग्राहक सेवा केंद्र/सहायता टीम से 1800-420-1199 या 1800-425-1199 पर संपर्क करें

बी. फेडमोबाइल: निवेश > बैंक जमा > इस जमा को बंद करें
सी. निकटतम शाखा से संपर्क करें।
टर्म डिपॉजिट बंद होने पर, उससे प्राप्त राशि कार्डधारक के ऑपरेटिव अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। टर्म डिपॉजिट को बंद करने के अनुरोध पर, उपरोक्त में से किसी भी माध्यम से अनुरोध जमा करने की तारीख से 7 कार्य दिवसों के भीतर कार्रवाई की जाएगी, बशर्ते कि ऐसे अनुरोध निर्धारित समापन औपचारिकताओं के अनुरूप हों।

7. सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड जारी होने पर, बैंक कार्डधारक द्वारा जमा की गई टर्म डिपॉजिट की पूरी राशि पर, जिसमें कार्डधारक द्वारा अर्जित ब्याज भी शामिल है, सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की समाप्ति तक ग्रहणाधिकार (लिएन) अंकित करेगा। कार्डधारक/बैंक द्वारा सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड की समाप्ति या बंदी होने तक और कार्डधारक द्वारा बैंक को देय सभी बकाया फीस, शुल्कों और किसी भी अन्य राशि के भुगतान तक टर्म डिपॉजिट को समय से पहले बंद करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

8. सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध चिह्नित टर्म डिपॉजिट ग्रहणाधिकार (लियन) स्वत:-नवीनीकरण मोड पर होगा। टर्म डिपॉजिट के स्वत:-नवीनीकरण के समय लागू प्रचलित ब्याज दर उक्त टर्म डिपॉजिट अकाउंट पर लागू होगी। टर्म डिपॉजिट की अवधि में किसी भी मैन्युअल परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9. कार्डधारक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड से जुड़ी टर्म डिपॉजिट से कोई भी आंशिक निकासी नहीं कर पाएंगे।

10. ब्याज पर टीडीएस, यदि लागू हो, तो एकत्र किया जाएगा (योजना के आधार पर, यानी कैश सर्टिफिकेट/एफडी जिसमें ब्याज भुगतान शामिल है)।

11. टर्म डिपॉजिट को विशेष रूप से कार्ड लिमिट के विरुद्ध ग्रहणाधिकार (लिएन) के रूप में चिह्नित किया जाएगा। टर्म डिपॉज़िट पर कोई अन्य शुल्क/लोन नहीं लिया जाएगा।

12. कार्ड पर चार्ज किए गए टर्म डिपॉजिट के बदले अग्रिम की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13. यदि बैंक को कार्ड पर प्रभारित टर्म डिपॉजिट के संबंध में किसी वैधानिक, नियामक या जांच प्राधिकरण से कोई कुर्की, आदेश या निर्देश प्राप्त होता है, जिससे उस पर बैंक के शुल्क/ग्रहणाधिकार प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है, तो बैंक अपने विवेक से कार्ड के वर्गीकरण को सिक्योर्ड से अनसिक्योर्ड में बदल सकता है और/या कार्ड अकाउंट में आगे के संचालन को सस्पेंड कर सकता है और/या कार्ड अकाउंट में सभी देय/बकाया राशि के तत्काल पुनर्भुगतान की मांग कर सकता है।

14. एचयूएफ, साझेदारी फर्मों, नाबालिगों द्वारा खोली गई/जमा की गई या आवेदकों द्वारा संयुक्त रूप से खोली गई टर्म डिपॉजिट सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र नहीं होंगी। टर्म डिपॉजिट सुविधा के लिए नामांकन सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

15. टर्म डिपॉजिट पर ग्रहणाधिकार (लिएन) चिह्नित होने के बाद सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट कर दिया जाएगा।

16. अनिवासी ग्राहक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड के लिए पात्र नहीं हैं।

17. किसी भी समय कार्डधारक को केवल एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड जारी किया जा सकता है।

18. बकाया राशि की वसूली के लिए लिंक की गई टर्म डिपॉजिट को बंद करना

    - यदि कार्डधारक के सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड अकाउंट में लगातार 30 दिनों की अवधि के लिए बकाया राशि है, तो बकाया राशि की वसूली के लिए सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड से लिंक्ड टर्म डिपॉजिट को 31वें दिन बंद कर दिया

जाएगा। हालांकि, कार्डधारक को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर एसएमएस या ईमेल के माध्यम से लिंक्ड टर्म डिपॉजिट को बंद करने के बारे में विधिवत सूचित किया जाएगा।

- लिंक्ड टर्म डिपॉजिट की पूरी राशि बकाया देय राशि के निपटान के लिए सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड अकाउंट में जमा की जाएगी, चाहे कार्डधारक द्वारा देय वास्तविक बकाया राशि कुछ भी हो।

19. लिंक्ड टर्म डिपॉजिट से अतिरिक्त राशि की वापसी:
    - बकाया देय राशि के समायोजन के बाद सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड अकाउंट में शेष बची कोई भी अतिरिक्त राशि कार्डधारक के ऑपरेटिव अकाउंट में वापस कर दी जाएगी। यह रिफंड अगले महीने के सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड बिल जनरेशन की तारीख से दो (2) कार्य दिवसों के भीतर प्रोसेस किया जाएगा।
    - उपरोक्त सब क्लॉज़ (ए) के बावजूद, कार्डधारक अगले महीने के सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड बिल के बनने से पहले अतिरिक्त राशि की शीघ्र वापसी का अनुरोध कर सकता है। बैंक द्वारा ऐसे अनुरोध पर, अनुरोध प्राप्त होने की तारीख से तीन (3) कार्य दिवसों के भीतर कार्रवाई की जाएगी।
    - कार्डधारक रिफंड का अनुरोध करने के लिए निम्नलिखित माध्यमों से बैंक से संपर्क कर सकता है: शाखा और आईवीआर।
20. अतिरिक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं: बैंक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड अकाउंट में जमा अतिरिक्त राशि पर कोई ब्याज नहीं देगा, चाहे वह अतिरिक्त राशि अकाउंट में कितनी भी अवधि के लिए रहे।

खोए हुए या चोरी हुए कार्ड

1. यदि आपका कार्ड खो जाता है, चोरी हो जाता है, गुम हो जाता है या यदि आपको कार्ड के किसी भी अनधिकृत उपयोग का पता चलता है, तो आपको तुरंत बैंक को सूचित करना चाहिए। आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से इस प्रारूप में एक एसएमएस भेजकर कार्ड को ब्लॉक करने का अनुरोध भी कर सकते हैं: **FBCCBLOCK <कार्ड के अंतिम 4 अंक> और इसे इस समर्पित मोबाइल नंबर: 9008915353 पर भेजें**। यह एसएमएस प्राप्त होने पर, बैंक पर्याप्त वेरिफिकेशन के बाद, कार्ड अकाउंट को अस्थायी रूप से सस्पेंड कर देगा। उपरोक्त के अनुसार, आपके कार्ड अकाउंट को ब्लॉक करने के अनुरोध पर कार्रवाई करने में आपको होने वाली किसी भी असुविधा/नुकसान के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
2. उपरोक्त के अतिरिक्त, कार्ड के खोने, चोरी होने या गुम होने के संबंध में आपको तुरंत पुलिस शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करानी होगी। शिकायत या एफआईआर की एक प्रति बैंक को भेजे जाने वाले नोटिस के साथ अटैच करना अनिवार्य है।
3. आपके विशिष्ट अनुरोध पर और अतिरिक्त औपचारिकताओं के अनुपालन के अधीन, बैंक अपने पूर्ण विवेकाधिकार से डुप्लीकेट कार्ड जारी कर सकता है।
4. क्रेडिट कार्ड के किसी भी अनधिकृत उपयोग से उत्पन्न होने वाली आपकी देयता प्रासंगिक नियामक दिशानिर्देशों या लागू कानून के अधीन होगी।
5. बिना हस्ताक्षर वाले कार्ड (अर्थात ऐसा कार्ड जिस पर आपने हस्ताक्षर नहीं किए हैं) के मामले में भी, आप उस पर लगने वाले सभी शुल्कों के साथ-साथ कार्ड के माध्यम से किए गए लेनदेन के लिए उत्तरदायी होंगे।
6. आप कार्ड की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हैं और इसकी सुरक्षित अभिरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाएंगे और बैंक कार्ड के किसी भी दुरुपयोग के लिए किसी भी तरह से उत्तरदायी नहीं होगा। यदि बैंक यह निर्धारित करता

है कि आपके द्वारा उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं हैं, तो खोए हुए या चोरी हुए कार्ड पर वित्तीय दायित्व आप पर होगा और इसके परिणामस्वरूप कार्ड अकाउंट भी रद्द किया जा सकता है।

7. किसी भी विवादित लेनदेन की जांच होने की स्थिति में, आप बैंक, बैंक के प्रतिनिधि और/या कानूनी अधिकारियों को पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे।

8. यदि बाद में आपको खोया हुआ या चोरी हुआ कार्ड मिल जाता है, तो उस कार्ड का उपयोग न करें। उसे मैग्नेटिक स्ट्राइप के बीच से दो हिस्सों में काटकर तुरंत बैंक को वापस कर दें।

9. कार्ड के खोने/चोरी होने/क्षतिग्रस्त होने की सूचना देने के बाद उस पर किए गए किसी भी लेनदेन के लिए आप उत्तरदायी नहीं होंगे। हालांकि, इस तरह के नुकसान/चोरी/क्षति की सूचना देने के समय और/या नुकसान/चोरी/क्षति/दुरुपयोग की सूचना देने के बाद कार्ड पर किए गए लेनदेन से संबंधित किसी भी विवाद के मामले में, बैंक के पास ऐसे समय और/या विवादित लेनदेन की प्रामाणिकता का पता लगाने का अधिकार सुरक्षित है। जब तक आपको रिप्लेसमेंट कार्ड प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक आप किसी भी लेनदेन के लिए ब्लॉक किए गए कार्ड का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

कलेक्शन एजेंट्स बैंक

बैंक को कार्ड सदस्य के एकमात्र जोखिम और लागत पर, कार्ड सदस्य के देय राशि को वसूलने और/या कार्ड सदस्य द्वारा प्रदान की गई किसी भी सुरक्षा को लागू करने के लिए एक या अधिक व्यक्तियों को नियुक्त करने का अधिकार होगा, और बैंक (ऐसे उद्देश्यों के लिए) ऐसे व्यक्तियों को कार्ड सदस्य और सुरक्षा से संबंधित ऐसी जानकारी, तथ्य और आंकड़े प्रदान कर सकता है जो बैंक उचित समझे। बैंक ऐसे व्यक्तियों को उससे जुड़े या उसके प्रासंगिक सभी कार्यों, विलेखों, मामलों और चीजों को करने और निष्पादित करने का अधिकार और प्राधिकार भी सौंप सकता है, जैसा कि बैंक उचित समझे।

वस्तुओं और सेवाओं की क्वालिटी

बैंक कार्ड सदस्य द्वारा मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट्स से खरीदी गई या प्राप्त की गई वस्तुओं, वस्तुओं की वारंटी या सेवाओं के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं होगा, जिसमें डिलीवरी में देरी, डिलीवरी न होना, सामान प्राप्त न होना या कार्ड सदस्य द्वारा दोषपूर्ण सामान प्राप्त करना शामिल है। यह स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से कार्ड सदस्य के लिए सामान खरीदने और/या सेवाओं का लाभ उठाने की एक सुविधा है, बैंक वस्तुओं की क्वालिटी, डिलीवरी या अन्यथा के बारे में कोई वारंटी नहीं देता है या कोई प्रतिनिधित्व नहीं करता है। वस्तुओं के संबंध में किसी भी विवाद या दावे का समाधान कार्ड सदस्य द्वारा मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ किया जाना चाहिए। दावे या विवाद के अस्तित्व से कार्ड सदस्य को बैंक को सभी शुल्कों का भुगतान करने के अपने दायित्व से मुक्ति नहीं मिलेगी और कार्ड सदस्य ऐसे शुल्कों का तुरंत भुगतान करने के लिए सहमत है।

तृतीय पक्ष/सेवा प्रदाता की नियुक्ति

1. बैंक अपने विवेकाधिकार से फोन पर या किसी अन्य माध्यम से सेवा प्रदान करने के लिए तीसरे पक्षों/सेवा प्रदाताओं को नियुक्त कर सकता है। बैंक कुछ गतिविधियों के संचालन के लिए तीसरे पक्ष/सेवा प्रदाताओं को भी नियुक्त कर सकता है, जैसे कि संदर्भ जाँच, क्रेडिट वेरिफिकेशन, कार्ड पर किसी भी बकाया की वसूली या बैंक के सभी देय राशि की वसूली के लिए कानून द्वारा अनुमत कोई भी कार्रवाई शुरू करना, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है। रिकवरी के लिए ऐसे तीसरे पक्षों/सेवा प्रदाताओं को किए गए सभी भुगतान आपकी लागत और जोखिम पर होंगे, इसके अलावा बकाया देय राशि की रिकवरी के लिए बैंक द्वारा किए गए सभी लागत, शुल्क और खर्च भी आपको वहन करने होंगे।

2. यदि मामले को किसी एजेंट को संदर्भित करना आवश्यक हो जाता है या जहाँ भुगतान लागू करने के लिए कानूनी संसाधनों का सहारा लिया गया है, तो आप बकाया राशि की रिकवरी से जुड़ी सभी लागतों और ब्याज सहित कानूनी खर्चों के लिए उत्तरदायी होंगे।

3. आप इसके द्वारा बैंक को प्रदान किए गए अपने डेटा / दस्तावेजों को ऐसे तीसरे पक्ष / सेवा प्रदाताओं के साथ साझा करने के लिए स्पष्ट रूप से सहमत हैं / सहमति देते हैं। डेटा / दस्तावेजों का उपयोग संबंधित सीमित उद्देश्य के लिए किया जाएगा और कार्ड अकाउंट बंद होने के बाद उन्हें हटा दिया जाएगा।

बैंक से जुड़े तृतीय पक्ष/सेवा प्रदाताओं की सूची:

संस्था का नाम	भूमिका	विवरण
हाइपरफेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर (टीएसपी)	आपकी पीआईआई और लेनदेन डेटा सेवाओं तक एक्सेस प्रदान करने के लिए साझा किया जाएगा।
फर्स्ट डेटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	कार्ड मैनेजमेंट सिस्टम	
लेंट्रा एआई प्राइवेट लिमिटेड	एलिजिबिलिटी रूल इंजन	क्रेडिट कार्ड के लिए आपकी एलिजिबिलिटी का आकलन करने के लिए आपकी पीआईआई विवरण लेंट्रा के साथ साझा किए जाएंगे।
कर्ज़ा टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	वी-केवाईसी वेंडर	आपकी पीआईआई डेटा केवाईसी मानदंडों का अनुपालन करने के लिए साझा किया जाएगा।
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण	ई-केवाईसी	
लॉयल्टी रिवार्ड्ज़ मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड	रिवॉर्ड पॉइंट मैनेजमेंट	आपकी पीआईआई डेटा आपके रिवॉर्ड पॉइंट्स को मैनेज करने के लिए लॉयल्टी रिवॉर्ड्ज़ के साथ साझा किया जाएगा।
एम2पी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	एसीएस (एक्सेस कंट्रोल सर्वर)	आपकी पीआईआई और लेनदेन डेटा सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने के लिए एम2पी के साथ साझा किया जाएगा।
मेटल नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड	कम्युनिकेशन वेंडर	आपकी पीआईआई और लेनदेन का डेटा आपको संचार भेजने के लिए मेट्टल के साथ साझा किया जाएगा।
सिंच क्लाउड कम्युनिकेशन सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड		आपकी पीआईआई डेटा संचार के लिए सिंच के साथ साझा किया जाएगा।

एमसीटी कार्ड्स एंड टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	प्रिंटिंग पार्टनर	आपकी पीआईआई डेटा आपको भौतिक वेलकम किट भेजने के लिए एमसीटी के साथ साझा किया जाएगा।
डेल्हीवरी प्राइवेट लिमिटेड	लॉजिस्टिक्स	आपकी पीआईआई डेटा डेल्हीवरी (कूरियर पार्टनर) के साथ साझा किया जाएगा जो आपके पते पर फिजिकल वेलकम किट डिलीवर करेंगे।
वर्ल्डलाइन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	पेमेंट गेटवे	आपकी पीआईआई और लेनदेन डेटा वर्ल्डलाइन के साथ साझा किया जाएगा ताकि आप अपने कार्ड पर बकाया राशि का भुगतान कर सकें।
पाइन लैब्स प्राइवेट लिमिटेड	बैंक के ईएमआई मर्चेंट्स	लागू नहीं
इंडियाआइडिया.कॉम लिमिटेड (बिल डेस्क)	बैंक के ईएमआई मर्चेंट्स	लागू नहीं
रेजरपे सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	बैंक के ईएमआई मर्चेंट्स	लागू नहीं
पेयू पेमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	बैंक के ईएमआई मर्चेंट्स	लागू नहीं
इजीटैप मोबाइल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	बैंक के ईएमआई मर्चेंट्स	लागू नहीं
वन97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड (पेटीएम)	बैंक के ईएमआई मर्चेंट्स	लागू नहीं
कंसेंट्रिक्स टेक्नोलॉजीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	ग्राहक सहायता गतिविधियाँ	आपकी पीआईआई और लेनदेन डेटा ग्राहक सहायता/प्रश्नों को हल करने के लिए कॉन्सेंट्रिक्स के साथ साझा किया जाएगा।
एक्सपीरियन क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी ऑफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	क्रेडिट ब्यूरो	आपकी पीआईआई डेटा क्रेडिट कार्ड के लिए पात्रता का मूल्यांकन करने के लिए साझा किया जाएगा।

क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो (इंडिया) लिमिटेड		आपकी पीआईआई डेटा एजेंसियों के साथ साझा किया जाएगा ताकि रिकवरी गतिविधियों में बैंक की सहायता की जा सके।
कलेक्शन और रिकवरी एजेंसी	कलेक्शन और रिकवरी	बैंक से जुड़ी एजेंसियों की सूची: **<u>यहाँ क्लिक करें</u>**
एस्ट्यूट कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	फील्ड इन्वेस्टिगेशन	आपकी पीआईआई डेटा क्रेडिट कार्ड आवेदन के लिए फील्ड इन्वेस्टिगेशन करने हेतु मैसर्स एस्ट्यूट कॉर्पोरेट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझा किया जाएगा।
उबोना टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर (टीएसपी)	आपकी पीआईआई और लेनदेन डेटा सेवाओं तक एक्सेस प्रदान करने के लिए साझा किया जाएगा।
बैंकबाज़ार (एएंडए दुकान फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड)	क्रेडिट कार्ड सोर्सिंग डीएसए पार्टनर	बैंक ने बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के प्रचार और सोर्सिंग के लिए इस संस्था के साथ साझेदारी की है।
मायमनीमंत्रा (राज खोसला एंड कंपनी प्राइवेट लिमिटेड)	क्रेडिट कार्ड सोर्सिंग डीएसए पार्टनर	बैंक ने बैंक के क्रेडिट कार्ड्स के प्रचार और सोर्सिंग के लिए इस संस्था के साथ साझेदारी की है।

क्रेडिट कार्ड पुन: जारी करना और रिप्लेसमेंट

यदि आपका कार्ड दोषपूर्ण/ डैमेज हो जाता है, खो जाता है या चोरी हो जाता है, तो आप बैंक के किसी भी कार्ड डिवीजन सेंटर में रिप्लेसमेंट कार्ड के लिए अनुरोध कर सकते हैं। ऐसे सभी रिप्लेसमेंट कार्ड बैंक के विवेक पर, रिप्लेसमेंट के समय प्रचलित शुल्कों के भुगतान पर जारी किए जाएंगे। क्षतिग्रस्त कार्ड का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और उसे मैग्नेटिक स्ट्रिप के बीच से दो हिस्सों में काट दिया जाना चाहिए और तुरंत बैंक को वापस कर दिया जाना चाहिए।

पते और टेलीफोन नंबर में परिवर्तन

आप अपने पते (स्थायी और पत्राचार पता दोनों) और/या टेलीफोन नंबर में किसी भी बदलाव के बारे में बैंक द्वारा समय-समय पर अधिसूचित पते या निर्दिष्ट ग्राहक सेवा केंद्र पर बैंक को लिखित रूप में तुरंत सूचित करेंगे।

टर्मिनेशन

- कार्ड सदस्य द्वारा: आप अकाउंट पर उपयोग के लिए जारी किए गए सभी कार्डों को दो हिस्सों में काटकर, कार्ड से जुड़ी सभी सुविधाओं और लाभों को समाप्त करने के लिखित अनुरोध के साथ हमें वापस करके किसी भी समय इस

टी एंड सी को समाप्त कर सकते हैं। समाप्ति केवल तभी प्रभावी होगी जब हमें अतिरिक्त कार्डों सहित सभी कार्ड प्राप्त हो जाएंगे और कार्ड अकाउंट के संबंध में सभी बकाया राशियों (जिसमें मूलधन, ब्याज, शुल्क/अतिरिक्त फीस /शुल्क शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं) का भुगतान कर दिया जाएगा। आप बैंक को लिखित रूप में सूचित करके अतिरिक्त कार्ड का उपयोग रद्द कर सकते हैं, लेकिन आप अतिरिक्त कार्ड के उपयोग से होने वाले सभी शुल्कों के लिए उत्तरदायी रहेंगे। कोई भी वार्षिक शुल्क या अन्य शुल्क आनुपातिक (प्रो-राटा) आधार पर वापस नहीं किए जाएंगे। आप बैंक के संपर्क केंद्र के माध्यम से भी क्रेडिट कार्ड को रद्द करने का अनुरोध कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड्स की गलत बिक्री या क्रेडिट कार्ड्स से संबंधित रिकवरी एजेंटों द्वारा उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों के लिए कृपया ccsalessupport@federal.bank.in पर लिखें या 0484–6754111 पर कॉल करें।

- बैंक द्वारा: बैंक अपने विवेक से किसी भी समय कार्ड को तुरंत समाप्त या रद्द कर सकता है, बिना कोई कारण बताए और बिना किसी पूर्व सूचना के कार्ड सदस्य द्वारा क्रेडिट कार्ड के उपयोग को प्रतिबंधित कर सकता है। यदि बैंक कार्ड को समाप्त/रद्द करता है, तो कार्ड अकाउंट पर बकाया सभी राशियां (जिनमें वे शुल्क या कैश एडवांस शामिल हैं जो अभी तक डेबिट नहीं किए गए हैं) तुरंत देय और भुगतान योग्य हो जाएंगी। बैंक रद्द किए गए क्रेडिट कार्डों के बारे में मर्चेंट एस्टेब्लिशमेंट को सूचित कर सकता है। यदि क्रेडिट कार्ड रद्द कर दिया जाता है, तो आपको इसे मैग्नेटिक स्ट्रिप के बीच से दो हिस्सों में काटना होगा और दोनों हिस्सों को तुरंत बैंक को वापस करना होगा। कोई भी वार्षिक शुल्क या अन्य शुल्क आनुपातिक (प्रो-राटा) आधार पर वापस नहीं किए जाएंगे।

- यदि आप अपना रोजगार/पेशा या पता बदलते हैं या आपकी वर्तमान पोस्टिंग से आपका स्थानांतरण हो जाता है या आप अपना सैलरी अकाउंट /मुख्य बैंक अकाउंट आदि बदलते हैं, तो बैंक को अपने विवेकाधिकार से क्रेडिट कार्ड सुविधा को बंद करने का अधिकार होगा।

- निम्नलिखित में से एक या अधिक घटनाओं का घटित होना चूक (डिफ़ॉल्ट) की घटना माना जाएगा और बैंक अपने विवेक से क्रेडिट कार्ड सुविधा वापस ले सकता है। इन घटनाओं में निम्नलिखित शामिल हैं, लेकिन ये इन्हीं तक सीमित नहीं हैं:

- क्रेडिट कार्ड का अनुचित उपयोग (आरबीआई और विदेशी मुद्रा नियमों का उल्लंघन)।

- आप निर्धारित अवधि के भीतर बैंक को देय किसी भी राशि का भुगतान करने में लगातार विफल रहते हैं।

- आप इन नियमों और शर्तों के अनुसार अपने दायित्वों को निभाने में विफल रहते हैं।

- बैंक को दिया गया कोई भी चेक और/या ईसीएस/स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन (स्थायी निर्देश), प्रस्तुति/किए जाने पर किसी भी कारण से भुनाया नहीं जाता है/उस पर कार्रवाई नहीं की जाती है।

- आपके द्वारा किया गया कोई भी कथन गलत, असत्य, मिथ्या/धोखाधड़ीपूर्ण या अपूर्ण पाया जाता है, जिसमें आय और/या पहचान से संबंधित कागजात/दस्तावेज भी शामिल हैं, जिन्हें अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी)/धन-शोधन निवारण (एएमएल)/आतंकवाद के वित्तपोषण का मुकाबला करने (सीएफटी) संबंधी दिशानिर्देशों के तहत बैंक को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

- किसी भी प्राधिकरण, कानून की अदालत या पेशेवर निकाय या एसोसिएशन द्वारा किसी भी नागरिक मुकदमेबाजी या आपराधिक अपराध / कार्यवाही में शामिल होना।

- कार्ड जारी होने के 30 दिनों के भीतर इसे एक्टिवेट न करने पर, बैंक वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) आधारित सहमति पर कार्ड को एक्टिवेट करने का विकल्प देगा। यदि कार्ड एक्टिवेट करने के लिए ऐसी कोई सहमति प्राप्त नहीं होती है, तो आपसे पुष्टि प्राप्त करने की तिथि से 7 कार्य दिवसों के भीतर कार्ड अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। रिन्यू या बदले गए कार्ड के मामले में, ऐसा बंद होना/समाप्ति कार्डधारक द्वारा सभी देय राशियों के भुगतान के अधीन होगा।

- आप विशेष रूप से स्वीकार करते हैं कि एक बार कार्ड अकाउंट रद्द/बंद हो जाने और क्रेडिट कार्ड्स के विशेषाधिकार (सभी लाभों और सेवाओं सहित) वापस ले लिए जाने के बाद, उन्हें फिर से रिस्टोर करना स्वचालित नहीं है और यह पूरी तरह से बैंक के विवेक पर होगा।

- कार्ड रद्द होने पर, आपको:

कार्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए, कार्ड को मैग्नेटिक स्ट्राइप के माध्यम से दो हिस्सों में काट देना चाहिए और उसे बैंक को वापस कर देना चाहिए।

आप कार्ड के किसी भी उपयोग के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें शुल्कों का भुगतान भी शामिल है, जब तक कि कार्ड को मैग्नेटिक स्ट्राइप से दो हिस्सों में काटकर बैंक को वापस नहीं कर दिया जाता

उपयोग की शर्तों के अनुसार बैंक को भुगतान करना जारी रखना चाहिए।

ब्याज/फाइनेंस शुल्क, यदि कोई लागू हो, तो बिलिंग साइकिल के लिए अगले बिलिंग साइकिल पर लगाए जाएंगे/देय होंगे और कार्ड सदस्य कार्ड की सदस्यता की टर्मिनेशन/रद्दीकरण के बावजूद उनका भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

दायित्व का अपवर्जन

उपरोक्त पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बैंक आपके प्रति किसी भी ऐसी हानि या क्षति के संबंध में किसी भी प्रकार के दायित्व के अधीन नहीं होगा जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निम्नलिखित कारणों से उत्पन्न होती है:

1. आपूर्ति की गई किसी भी वस्तु या सेवा में कोई भी दोष
2. किसी भी व्यक्ति द्वारा कार्ड को स्वीकार करने या उसको स्वीकार करने से इनकार करना
3. किसी भी इलेक्ट्रॉनिक टर्मिनल की खराबी
4. आपके अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा लेनदेन निर्देश दिया जाना
5. कार्ड की वापसी का अनुरोध करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दिया गया कोई भी बयान या किसी व्यक्ति द्वारा संयुक्त रूप से किया गया कोई भी कार्य
6. बैंक के परिसर में बैंक के नामित कर्मचारियों के अलावा आपके द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को कार्ड सौंपना
7. बैंक द्वारा कार्ड की समाप्ति तिथि से पहले कार्ड को सरेंडर करने की मांग करने और उसे प्राप्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग करना, चाहे ऐसी मांग और सरेंडर बैंक द्वारा या किसी व्यक्ति या कंप्यूटर टर्मिनल द्वारा किया गया हो
8. बैंक द्वारा किसी भी कार्ड या कार्ड अकाउंट को समाप्त करने के अपने अधिकार का प्रयोग या
9. कार्ड की चोरी/गुम होने और उसके पुनः कब्जे के कारण या कार्ड की रिकवरी/पुनः कब्जे के लिए आपके द्वारा उठाए गए कदमों के कारण आपको हुई कोई भी क्षति/कथित क्षति।
10. भुगतान लेनदेन के लिए किसी भी मर्चेंट/सेवा एस्टैब्लिशमेंट द्वारा कार्ड स्वीकार करने या उसे मान्यता देने से इनकार करना।
11. बैंक द्वारा दी गई किसी भी जानकारी में कोई गलत कथन, गलत बयानी, त्रुटि या चूक। यदि बैंक या बैंक की ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा आपसे बकाया राशि के भुगतान की मांग या दावा किया जाता है, तो आप यह

स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि ऐसी मांग या दावे को किसी भी तरह से मानहानि नहीं माना जाएगा, और न ही इसे आपके चरित्र के प्रतिकूल या उस पर प्रभाव डालने वाला कार्य माना जाएगा।

चूक (डिफ़ॉल्ट)

1. आप स्वीकार करते हैं कि टीएंडसी के तहत दायित्वों को निभाने में किसी भी चूक के मामले में, बैंक के पास इस टीएंडसी के तहत किसी भी या सभी अधिकारों का प्रयोग करने का अधिकार होगा।
2. आप बैंक द्वारा आपको प्रदान की गई किसी अन्य क्रेडिट सुविधा के संबंध में चूक होने की स्थिति में कार्ड सुविधा को समाप्त करने के बैंक के अधिकार को स्वीकार करते हैं और इसके विपरीत भी।
3. आप स्वीकार करते हैं कि टी एंड सी के तहत, 30 दिनों से अधिक समय तक बिलों का भुगतान न किए जाने पर, बैंक के पास लेनदेन को रोकने का अधिकार होगा।
4. सबस्टैंडर्ड/डाउटफुल/लॉस एनपीए के रूप में वर्गीकरण, बैंक के साथ कुल समग्र जोखिम में संयुक्त सुरक्षा आवंटन और आईआरएसी पर विवेकपूर्ण मानदंडों से संबंधित आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुरूप बैंक द्वारा समय-समय पर निर्धारित ओवरड्यू अवधि के एजिंग नियमों के आधार पर किया जाएगा।
5. 90 (नब्बे) दिनों से अधिक की अवधि के लिए बकाया कोई भी देय राशि, अग्रिमों से संबंधित आय मान्यता, परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान पर विवेकपूर्ण मानदंडों पर आरबीआई मास्टर सर्कुलर के अनुसार नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत की जाएगी।
6. क्रेडिट कार्ड अकाउंट को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने की स्थिति में, बैंक के पास आपके नाम पर मौजूद अन्य सभी क्रेडिट सुविधाओं को भी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। इसी तरह, आपके नाम पर मौजूद आपकी अन्य सुविधा/सुविधाओं को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किए जाने की स्थिति में, कार्ड अकाउंट को भी एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। ऐसी स्थिति में, कार्ड अकाउंट/अन्य सुविधाओं को तब तक मानक संपत्ति के रूप में अपग्रेड नहीं किया जाएगा जब तक कि आप ऐसे सभी अकाउंट्स के संबंध में संपूर्ण बकाया/देय राशि का भुगतान नहीं कर देते (अर्थात सभी अकाउंट्स में बकाया/देय राशि शून्य होनी चाहिए)। आप स्वीकार करते हैं कि वर्गीकरण की इस परस्पर निर्भरता/जुड़ाव का आपके क्रेडिट प्रोडक्ट्स/सुविधाओं के लिए भविष्य की योग्यता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
7. आप स्वीकार करते हैं और सहमत हैं कि यदि क्रेडिट कार्ड, लोन या अन्य वित्तीय सेवाओं सहित कोई भी बैंकिंग प्रोडक्ट, जिसमें आप सह-उधारकर्ता, सह-बाध्यकारी या गारंटर हैं, पिछले छह (6) महीनों के भीतर नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया गया है, तो आप क्रेडिट कार्ड से संबंधित किसी भी प्रमोशनल ऑफर के लिए अपात्र माने जाएंगे।

उल्लंघन और समाप्ति/वापसी

1. उल्लंघन: किसी भी कार्ड सदस्य द्वारा इन नियमों और शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन की स्थिति में; इन नियमों और शर्तों के किसी भी अन्य प्रावधान के बावजूद (i) कार्ड सदस्य ऐसे उल्लंघन से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली किसी भी हानि के लिए उत्तरदायी रहेगा; और (ii) कार्ड सदस्य मांग किए जाने पर, बैंक को कार्ड सदस्य द्वारा बैंक को देय सभी बकाया राशियों का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, चाहे वे ऐसी मांग की तारीख पर बैंक को देय हों या नहीं।
2. समाप्ति / वापसी: ग्राहक फेडनेट /फेडमोबाइल के माध्यम से, या शाखाओं में लिखित दस्तावेज के माध्यम से या संपर्क केंद्र के माध्यम से मौखिक सत्यापन के रूप में या ई-मेल आईडी पर ई-मेल के माध्यम से कार्ड बंद करने का अनुरोध कर सकते हैं। इसके लिए ई-मेल आईडी creditcards@federal.bank.in है।

3. उपरोक्त नोटिस तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि कार्ड के ऊपरी दाएं कोने को काटकर उसे विरूपित न कर दिया जाए, यह सुनिश्चित करते हुए कि होलोग्राम और मैग्नेटिक स्ट्राइप दोनों कट गए हैं और बैंक द्वारा प्राप्त कर लिए गए हैं। उपरोक्त के अलावा, न तो कार्ड अकाउंट और न ही किसी कार्ड को समाप्त किया जाएगा।

4. यदि कार्ड सदस्य द्वारा कार्ड को नष्ट करने का दावा किए जाने के बाद कार्ड पर कोई शुल्क लगता है, लेकिन बैंक को कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, तो कार्ड सदस्य कार्ड पर लगने वाले उन शुल्कों के लिए पूरी तरह से उत्तरदायी होगा, चाहे वे कार्ड के दुरुपयोग का परिणाम हों या नहीं, और भले ही बैंक को कार्ड नष्ट किए जाने की सूचना दे दी गई हो।

5. बैंक किसी भी समय, सूचना के साथ या बिना, अपने पूर्ण और एकमात्र विवेक पर कार्ड अकाउंट और कार्ड को समाप्त कर सकता है। कार्ड सदस्य स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है और सहमति देता है कि यदि कार्ड सदस्य के पास बैंक के साथ दो या अधिक कार्ड अकाउंट हैं, जो इन नियमों और शर्तों के अधीन हैं, तो बैंक के पास कार्ड सदस्य को सभी बैंक क्रेडिट कार्ड अकाउंट के तहत दी गई क्रेडिट लिमिट को ब्लॉक करने के साथ-साथ ऐसे सभी कार्ड अकाउंट के तहत मिलने वाले विशेषाधिकारों/लाभों को वापस लेने का अधिकार है, यदि इनमें से किसी एक कार्ड अकाउंट के तहत बैंक को देय भुगतान में कोई चूक होती है। यह स्थिति तब तक बनी रहेगी जब तक कि कार्ड सदस्य द्वारा चूक वाले कार्ड अकाउंट को नियमित नहीं कर दिया जाता। कार्ड सदस्य यह भी स्वीकार करता है और सहमत है कि बैंक को उपरोक्त के लिए कोई पूर्व या अतिरिक्त सूचना देने की आवश्यकता नहीं होगी।

6. कार्ड अकाउंट की समाप्ति पर और बैंक तथा कार्ड सदस्य के बीच इसके विपरीत किसी भी पूर्व समझौते के बावजूद: (ए) उस समय के सभी बकाया शुल्कों की कुल राशि, चाहे वे स्टेटमेंट में पहले से दर्शाए गए हों या नहीं, और (बी) समाप्ति के बाद किए गए किसी भी स्वैच्छिक शुल्क की राशि (संबंधित लेनदेन इंस्ट्रक्शन की तारीख से प्रभावी), कार्ड सदस्य द्वारा तत्काल देय होगी, मानो वे स्टेटमेंट में दर्शाए गए हों, और समय-समय पर लागू होने के अनुसार, ऐसे शुल्क लगने की तारीख से उन पर ब्याज लगेगा।

7. बैंक, अपने पूर्ण विवेक से, बिना कोई नोटिस दिए या कोई कारण बताए, किसी भी समय कार्ड के विशेषाधिकारों को अस्थायी या स्थायी रूप से वापस लेने और/या कार्ड को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। अस्थायी रूप से वापस लिए जाने की स्थिति में, बैंक अपने पूर्ण विवेक से विशेषाधिकारों को फिर से रिस्टोर कर सकता है। स्थायी रूप से वापस लिए जाने की स्थिति में, बैंक के पास कार्ड सदस्य की सदस्यता को स्थायी रूप से अस्वीकार करने का अधिकार है। हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि विशेषाधिकार वापस लेने (अस्थायी या स्थायी) का अर्थ कार्ड से जुड़े सभी संबंधित लाभों, विशेषाधिकारों और सेवाओं को स्वतः वापस लेना होगा। ऐसी अस्थायी या स्थायी वापसी की स्थिति में, कार्ड सदस्य ऐसी वापसी से पहले कार्ड पर किए गए सभी शुल्कों और उन पर लागू अन्य सभी शुल्कों के लिए पूरी तरह उत्तरदायी बना रहेगा, जब तक कि बैंक द्वारा अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो। कार्ड को वापस लिया जा सकता है और कार्ड अकाउंट को कार्ड पर अंकित वैधता अवधि की परवाह किए बिना किसी भी समय बंद किया जा सकता है। कार्ड सदस्य, अनुरोध किए जाने पर बैंक या उसके प्रतिनिधि को कार्ड सौंपने के लिए सहमत है। विशेषाधिकार वापस लेने के नोटिस के बाद कार्ड का उपयोग करना धोखाधड़ी माना जाएगा और इसके लिए कार्ड सदस्य के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।

नोटिस

इन नियमों और शर्तों के तहत या उनके संबंध में सभी नोटिस या अन्य संचार, जिसमें कार्ड सदस्य द्वारा देय सभी राशियां शामिल हैं, लिखित रूप में द फेडरल बैंक लिमिटेड, परक्कल टावर्स, परूर जंक्शन, थोट्टाक्काट्टुकारा, अलुवा, एर्नाकुलम, एर्नाकुलम, केरल, 683 102, भारत को दिए जाएंगे और जब तक अन्यथा न कहा जाए, पत्र द्वारा भेजे जा सकते हैं। ऐसा कोई भी नोटिस या अन्य संचार प्रभावी माना जाएगा: (i) यदि पत्र द्वारा भेजा गया है, तो व्यक्तिगत रूप से वितरित किए जाने पर या यदि डाक द्वारा भेजा गया है और जब पत्र को वापस बुलाना प्रेषक के नियंत्रण से बाहर हो; और (ii) यदि फैक्स द्वारा भेजा गया है, तो भेजे जाने पर (सही फैक्स नंबर पर पुष्टि प्राप्त होने पर)। हालांकि, बशर्ते कि कोई भी नोटिस या संचार तब तक

प्रभावी नहीं माना जाएगा जब तक कि वह वास्तव में बैंक द्वारा प्राप्त और स्वीकार न कर लिया जाए। नोटिस या संचार निम्नलिखित को भेजे जा सकते हैं: (i) कार्ड सदस्य का पता या फैक्स नंबर जैसा कि बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज है

और जिस पर नोटिस/सूचनाएं भेजी जानी हैं (जैसा कि आवेदन फ़ॉर्म में निर्दिष्ट है) और (ii) बैंक का जोनल / क्षेत्रीय / शाखा / कार्यालय का पता या फैक्स नंबर (जैसा कि आवेदन पत्र में निर्दिष्ट है), या ऐसे किसी अन्य पते या फैक्स नंबर पर जो कार्ड सदस्य और बैंक द्वारा एक-दूसरे को लिखित रूप में सूचित किया जाए। यदि कार्ड सदस्य अपने संपर्क पते या विवरण में किसी भी बदलाव के बारे में बैंक को लिखित रूप में सूचित करने में विफल रहता है, तो आवेदन फ़ॉर्म में निर्दिष्ट या कार्ड सदस्य द्वारा अंतिम बार दिए गए पते पर नोटिस या पत्राचार भेजना कार्ड सदस्य पर उचित और पर्याप्त तामील माना जाएगा, भले ही ऐसा नोटिस बैंक को वापस कर दिया गया हो। कार्ड सदस्य के निवास या कार्य क्षेत्र में उपलब्ध समाचार पत्र में प्रकाशित नोटिस इसके प्रकाशन की तिथि से कार्ड सदस्य के लिए पर्याप्त नोटिस माना जाएगा; हालाँकि, समाचार पत्र में दिया गया नोटिस बैंक के विरुद्ध तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि बैंक द्वारा इसे स्वीकार न कर लिया जाए।

मास्टरकार्ड वर्ल्डवाइड/ वीज़ा इंटरनेशनल/ रुपे द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएँ

1. वीज़ा इंटरनेशनल/मास्टरकार्ड वर्ल्डवाइड/रुपये द्वारा आपको कुछ आपातकालीन सेवाएँ प्रदान की जाती हैं, जो उस नेटवर्क पर निर्भर करती हैं जिससे कार्ड जुड़ा हुआ है। ऐसी सेवाएँ वीज़ा/मास्टरकार्ड/रुपये द्वारा तीसरे पक्ष के एजेंटों के माध्यम से प्रदान की जाती हैं। वीज़ा इंटरनेशनल/मास्टरकार्ड वर्ल्डवाइड/रुपये द्वारा या उनके माध्यम से प्रदान की जाने वाली ऐसी आपातकालीन सेवाओं का लाभ उठाने में होने वाले खर्च के लिए आप स्वयं जिम्मेदार हैं।

2. वीज़ा इंटरनेशनल / मास्टरकार्ड वर्ल्डवाइड / रुपे द्वारा / के माध्यम से सर्वोत्तम प्रयास के आधार पर सहायता प्रदान की जाती है।

3. भारत या दुनिया में कहीं भी बैंक, वीज़ा इंटरनेशनल / मास्टरकार्ड वर्ल्डवाइड / रुपे द्वारा या उनके माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं की व्यवस्था या उपयोग के लिए जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता है।

प्रकटीकरण

बैंक आरबीआई द्वारा अधिकृत क्रेडिट ब्यूरो के साथ गठबंधन कर सकता है और आपकी वर्तमान शेष राशि, भुगतान इतिहास, जनसांख्यिकीय विवरण आदि सहित क्रेडिट जानकारी साझा करेगा, ऐसी जानकारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज (रेगुलेशन) एक्ट, 2005 के तहत प्रदान की जा रही है। क्रेडिट ब्यूरो इस बारे में कोई राय, संकेत या टिप्पणी नहीं देते हैं कि क्रेडिट दिया जाना चाहिए या नहीं। समय पर आवश्यक बकाया राशि का भुगतान करके एक अच्छा क्रेडिट इतिहास बनाए रखना आपके सर्वोत्तम हित में है। क्रेडिट ब्यूरो के होने से, जिम्मेदार ग्राहक क्रेडिट देने वालों से बेहतर शर्तों पर तेज और अधिक प्रतिस्पर्धी सेवाओं की उम्मीद कर सकते हैं। ग्राहकों द्वारा चूक की जानकारी क्रेडिट ब्यूरो के पास उपलब्ध होगी, जो बदले में भविष्य की क्रेडिट आवश्यकताओं के लिए आपकी क्रेडिट योग्यता को प्रभावित करेगी। बैंक मासिक आधार पर या बैंक और क्रेडिट ब्यूरो के बीच सहमत होने वाली अन्य समयावधि में क्रेडिट ब्यूरो को ग्राहक की जानकारी रिपोर्ट करेगा। बैंक को सूचित किए गए किसी भी बिलिंग विवाद के मामले में, बैंक विवाद सुलझने तक क्रेडिट ब्यूरो को रिपोर्ट करना सस्पेंड कर देगा। कार्ड सदस्य स्वीकार करता है कि बैंक को कार्ड सदस्य /ऐड-ऑन कार्ड सदस्य(ओं) से संबंधित जानकारी साझा करने के लिए अधिकृत किया गया है, जिसमें कार्डधारक द्वारा अपने दायित्व के निर्वहन में की गई किसी भी चूक से संबंधित जानकारी शामिल है, जैसा कि बैंक समय-समय पर निर्धारित किसी भी मौजूदा या भविष्य के क्रेडिट ब्यूरो के साथ उचित और आवश्यक समझे। तदनुसार, कार्डधारक सहमति देता है और पुष्टि करता है कि उसने ऐसे क्रेडिट ब्यूरो को जानकारी प्रकट करने के लिए ऐड-ऑन कार्ड सदस्य(ओं) से सहमति प्राप्त कर ली है। ऐसी संस्थाएं बैंकों/वित्तीय संस्थानों और अन्य क्रेडिट देने वालों की संसाधित जानकारी या डेटा या उसके प्रोडक्ट्स को आगे उपलब्ध करा सकती हैं। क्रेडिट ब्यूरो में क्रेडिट ब्यूरो, क्रेडिट रेफरेंस एजेंसियां, क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां या आरबीआई द्वारा उधारकर्ताओं से संबंधित क्रेडिट जानकारी एकत्र करने, संकलित करने और प्रसारित करने के उद्देश्य से गठित और अधिकृत कोई अन्य संस्था शामिल है।

1. आप इसके द्वारा बैंक को क्रेडिट वेरिफिकेशन या संदर्भ जांच, कार्ड ऑन-बोर्डिंग, जारी करने, अपने हितों की सुरक्षा आदि के उद्देश्यों के लिए, आपसे/इस टी एंड सी और/या अन्य बैंकों, क्रेडिट ब्यूरो और वित्तीय संस्थानों, अन्य तीसरे पक्षों आदि के साथ किसी अन्य समझौते/टी एंड सी से संबंधित सभी/किसी भी जानकारी/दस्तावेजों का खुलासा करने के लिए स्पष्ट रूप से अधिकृत करते हैं।

2. आप इसके द्वारा बैंक या उसके प्रतिनिधियों को अपने नियोक्ता, बैंकर या किसी अन्य स्रोत से संपर्क करने के लिए अधिकृत करते हैं ताकि आवश्यक कोई भी अतिरिक्त जानकारी प्राप्त की जा सके और/या उसे वेरिफाई किया जा सके।

3. आप बैंक को ऐसी जानकारी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई), आयकर अधिकारियों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों या किसी अन्य सरकारी या नियामक अधिकारियों/निकायों/विभागों को मांग किए जाने पर प्रकट करने के लिए और अधिकृत करते हैं। आप बैंक को भुगतान में चूक करने या इन नियमों और शर्तों (टी एंड सी) के अनुपालन में विफल रहने की स्थिति में बैंकों, वित्तीय संस्थानों, क्रेडिट ब्यूरो/एजेंसियों, डेटा बैंकों, संग्रह एजेंसी जैसे तीसरे पक्षों सहित उपरोक्त अधिकारियों को अपना नाम वेरिफाई करने, साझा करने और/या प्रकट करने के लिए और अधिकृत करते हैं।

4. आप इसके द्वारा बैंक को अपनी नवीनतम व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी ("पीआईआईआई") प्राप्त करने के लिए पूछताछ करने हेतु अधिकृत करते हैं और सहमति प्रदान करते हैं, जिसमें सीईआरएसएआई/सिबिल जैसे विश्वसनीय/अधिकृत सूचना ब्यूरो या ऐसी किसी भी कंपनी से पैन कार्ड नंबर शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। यह प्रक्रिया निरंतर आधार पर की जाएगी और आपकी पीआईआईआई डेटा को अपडेटेड रखने के लिए बिना किसी और सहमति के बैंक के रिकॉर्ड में ऐसे पीआईआईआई डेटा को अपडेट किया जाएगा, जो बदले में बैंक को उपयुक्त सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने में मदद करेगा।

5. आप बैंक को क्रेडिट कार्ड अकाउंट आवेदन फॉर्म में दी गई जानकारी को क्रॉस सेलिंग के उद्देश्य से और किसी भी अन्य मार्केटिंग एजेंटों और/या ठेकेदारों को प्रकट करने के लिए भी अधिकृत करते हैं, जिनके साथ बैंक ने सेवाओं/उत्पादों को प्रदान करने के संबंध में कोई व्यवस्था की है या कर रहा है, जिसमें बिना किसी सीमा के, विभिन्न वित्तीय उत्पादों की क्रॉस सेलिंग शामिल है।

6. आप आगे यह स्वीकार करते हैं कि बैंक को निर्देश दिए जाने या आवश्यकता होने पर ऐसी सभी जानकारी/दस्तावेज आदि किसी भी न्यायालय, न्यायाधिकरण, मध्यस्थ को प्रकट करने का अधिकार होगा।

7. प्रतिकूल रिपोर्ट (आपकी या आपके परिवार के सदस्यों की क्रेडिट योग्यता से संबंधित) प्राप्त होने पर, बैंक कार्ड रद्द कर सकता है। इसके बाद कार्ड अकाउंट की पूरी बकाया राशि के साथ-साथ कार्ड के उपयोग से लगे अन्य सभी शुल्क, भले ही वे अभी तक कार्ड अकाउंट में बिल न किए गए हों, आपके द्वारा तुरंत देय होंगे। बैंक उस बैंक, संस्थान या निकाय के नाम का खुलासा करने के लिए बाध्य नहीं है, जिससे उसे आपके बारे में ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है।

8. आप विशेष रूप से उपरोक्त जानकारी के संबंध में निजता, गोपनीयता और सीक्रेसी बनाए रखने के विशेषाधिकार का त्याग करते हैं।

असाइनमेंट/ सिक्योरिटाइज़ेशन

आप स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं और सहमति देते हैं कि बैंक को आपकी बकाया राशि और देय राशि को बैंक की पसंद के किसी भी तीसरे पक्ष को बिना किसी संदर्भ के या बैंक द्वारा आपको लिखित सूचना दिए बिना, पूर्ण या आंशिक रूप से और बैंक द्वारा तय की गई शर्तों पर (जिसमें बैंक द्वारा किसी भी खरीदार, **असाइनी** या **ट्रांसफरी** की ओर से आपके विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार सुरक्षित रखना शामिल है), किसी भी तरीके से (परक्राम्य लिखत (**नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट**) जारी करने के

माध्यम से या अन्यथा) बेचने, सौंपने या स्थानांतरित करने का पूर्ण अधिकार होगा। ऐसा कोई भी असाइनमेंट या ट्रांसफर आपको ऐसे तीसरे पक्ष को विशेष रूप से लेनदार के रूप में या बैंक के साथ संयुक्त लेनदार के रूप में स्वीकार करने के लिए बाध्य करेगा, लेकिन बैंक के पास ऐसे तीसरे पक्ष की ओर से इसके तहत सभी शक्तियों का प्रयोग जारी रखने और ऐसी बकाया राशि और देय राशि का भुगतान ऐसे तीसरे पक्ष को करने या उसे विनियोजित करने का अधिकार होगा, जैसा कि बैंक तय कर सकता है। अपने अधिकारों के प्रवर्तन और बकाया राशि की वसूली के लिए बैंक द्वारा किए गए किसी भी खर्च को आपके **अकाउंट** से डेबिट किया जाएगा।

विविध:

1. जहाँ बैंक कार्ड के संबंध में किसी भी मामले में आपके द्वारा दिए गए किसी भी मौखिक या इलेक्ट्रॉनिक निर्देश या पूछताछ के जवाब में सद्भावनापूर्वक कार्य करता है, वहां आप बैंक के ऐसे किसी भी सद्भावनापूर्ण कार्य के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से होने वाली किसी भी हानि, क्षति, दायित्व, व्यय आदि का दावा करने या आरोप लगाने के हकदार नहीं होंगे और आप बैंक को इसके संबंध में क्षतिरहित रखने के लिए सहमत हैं।

2. इस टीएंडसी के तहत आपकी देनदारियों से तब तक मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक कि कार्ड अकाउंट पर बकाया राशि का पूर्ण भुगतान नहीं कर दिया जाता।

3. कार्ड अकाउंट पर कुल बकाया राशि और साथ ही उन शुल्कों की राशि जो प्रभावी हो चुके हैं लेकिन अभी तक कार्ड अकाउंट में दर्ज नहीं किए गए हैं, किसी कॉर्पोरेट निकाय के रूप में कार्ड सदस्य के दिवालिया होने, दिवाला निकलने, विघटन या समापन होने पर, अथवा प्राइमरी कार्ड सदस्य की मृत्यु होने पर, बैंक को तुरंत और पूर्ण रूप से देय होंगे। प्राइमरी कार्ड सदस्य की संपत्ति कार्ड अकाउंट पर किसी भी बकाया राशि के निपटान के लिए उत्तरदायी होगी और उसे बैंक को कानूनी शुल्क तथा ऐसे बकाया की वसूली में होने वाले खर्चों सहित सभी लागतों के प्रति क्षतिमुक्त रखना होगा। पुनर्भुगतान होने तक, बैंक अपनी प्रचलित दर पर फाइनेंस शुल्क लगाना जारी रखने का हकदार होगा।

4. किसी भी सरकारी/नियामक निकाय के निर्देशों पर कार्ड अकाउंट को सस्पेंड किया जा सकता है। सरकारी/नियामक निकायों के निर्देशों के आधार पर, कार्ड पर बकाया समस्त राशि तत्काल देय मानी जाएगी। बैंक, आपके द्वारा सभी बकाया राशि का तुरंत भुगतान करने के दायित्व पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रचलित कानूनों के अनुसार उक्त राशि वसूलने का हकदार होगा।

5. बैंक समय-समय पर इन सभी या किन्हीं भी नियमों और शर्तों को जोड़ने और/या संशोधित करने का हकदार होगा, जिसकी सूचना आपको एसएमएस या ईमेल के माध्यम से लिखित रूप में दी जाएगी। आप ऐसे संशोधनों के लिए तब तक बाध्य रहेंगे जब तक कि कार्ड अकाउंट की पूरी बकाया राशि का भुगतान नहीं कर दिया जाता और कार्ड को किसी भी संशोधन के प्रभावी होने की तिथि से पहले रद्द करने के लिए बैंक को वापस नहीं कर दिया जाता या उसे दो हिस्सों में काट नहीं दिया जाता।

6. बैंक इन नियमों और शर्तों के तहत आपको उपलब्ध किसी भी नई सुविधा या विशेषता को जोड़ने या किसी भी मौजूदा सुविधा या विशेषता को वापस लेने का पूर्ण विवेकाधिकार रखेगा।

7. छपाई के समय सभी प्रकाशित जानकारी सही और पूर्ण है। बैंक छपाई के बाद होने वाले परिवर्तनों के लिए जिम्मेदारी स्वीकार नहीं कर सकता है।

सेट ऑफ करने का अधिकार/बैंकर का ग्रहणाधिकार

यदि आप बकाया राशि के भुगतान में देरी करते हैं या किसी भी कारण से इन टीएंडसी / एमआईटीसी में दिए गए अनुसार अपने क्रेडिट कार्ड बकाया देय राशि का निपटान करने में असमर्थ होते हैं, तो बैंक अपने सामान्य ग्रहणाधिकार (जनरल लियन) और/या सेट ऑफ के अधिकार का प्रयोग कर सकता है और ऐसी किसी भी बकाया देय राशि को बैंक के पास समय-समय पर

मौजूद संपत्ति या आस्तियों (चल और अचल दोनों) के विरुद्ध समायोजित कर सकता है, जिसमें बैंक की किसी भी शाखा में टर्म डिपॉज़िट और/या अन्य अकाउंट्स में पड़ी राशि, संपत्ति, आस्तियां (चल और अचल दोनों), सिक्युरिटीज, स्टॉक, शेयर, फंड और प्राइमरी कार्ड सदस्य तथा एड-ऑन कार्ड सदस्य (ओं) की इसी तरह की अन्य चीजें शामिल हैं लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जो बैंक के कब्जे में हैं या समय-समय पर बैंक के कब्जे में आ सकती हैं, चाहे वे या उनमें से कोई एक या अधिक बैंक द्वारा सुरक्षित अभिरक्षा में रखे गए हों या अन्यथा।

छूट/स्वीकृति

इस टीएंडसी या किसी अन्य समझौते या दस्तावेज़ के तहत आपके द्वारा की गई चूक पर बैंक को प्राप्त होने वाले किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय का प्रयोग करने में कोई देरी या चूक, ऐसे किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, शक्ति या उपाय को कम नहीं करेगी और न ही इसे उसके परित्याग/सहनशीलता या ऐसी चूक में किसी मौन सहमति के रूप में माना जाएगा; और न ही किसी चूक के संबंध में बैंक की कार्रवाई या निष्क्रियता या किसी चूक में इसकी मौन सहमति, किसी भी बाद की या समान चूक के संबंध में बैंक के किसी भी अधिकार, शक्ति या उपाय को प्रभावित या कम करेगी।

आर्बिट्रेशन क्लॉज़ (मध्यस्थता खंड)

1. इन दस्तावेजों से उत्पन्न होने वाले या किसी भी तरह से इनसे संबंधित या इनके निर्माण, अर्थ या प्रभाव के संबंध में, या इसके तहत पक्षों के अधिकारों, दायित्वों और देनदारियों के संबंध में सभी विवादों, मतभेदों और/या दावों या प्रश्नों को मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा और निपटाया जाएगा, जो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 या इसके किसी भी वैधानिक संशोधनों के प्रावधानों के अनुसार एकमात्र मध्यस्थ या एक मध्यस्थ संस्थान या ऑनलाइन विवाद समाधान ('ओडीआर') सुविधा प्रदान करने वाले संस्थान/प्लेटफॉर्म द्वारा आयोजित किया जाएगा। मध्यस्थता की कार्यवाही अधिनियम की धारा 29बी में परिकल्पित फास्ट-ट्रैक प्रक्रिया के तहत संचालित की जाएगी। एकमात्र मध्यस्थ/मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय कार्डधारक/धारकों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा।

2. विवाद उत्पन्न होने पर, पीड़ित पक्ष दूसरे पक्ष को मध्यस्थता खंड लागू करने और मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए अपने द्वारा प्रस्तावित व्यक्ति का नाम और विवरण प्रदान करने वाला नोटिस जारी करेगा या नोटिस में नामित किसी मध्यस्थ संस्थान या ओडीआर सुविधा प्रदान करने वाले संस्थान /प्लेटफॉर्म द्वारा विवाद को प्रशासित करने का सुझाव देगा। यदि दूसरा पक्ष पीड़ित पक्ष के प्रस्ताव से सहमत नहीं है, तो दूसरा पक्ष मध्यस्थता लागू करने के नोटिस की प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर पीड़ित पक्ष को लिखित रूप में सूचित करेगा, ऐसा न करने पर यह माना जाएगा कि दूसरा पक्ष पीड़ित पक्ष के प्रस्ताव से सहमत है और पीड़ित पक्ष द्वारा प्रस्तावित व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया जाएगा या विवाद को नोटिस में नामित किसी मध्यस्थ संस्थान या ओडीआर सुविधा प्रदान करने वाले संस्थान/प्लेटफॉर्म द्वारा प्रशासित मध्यस्थता के लिए भेजा जाएगा।

3. मध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) के उद्देश्य से "विवाद" शब्द में लोन/क्रेडिट सुविधा के उचित पुनर्भुगतान में उधारकर्ता(ओं) द्वारा की गई चूक के साथ-साथ इन टीएंडसी या स्वीकृति पत्र की किसी भी शर्त का उल्लंघन शामिल है और ऐसी स्थिति में बैंक पीड़ित पक्ष होगा।

4. यदि ऊपर बताए अनुसार पक्षों द्वारा नियुक्त मध्यस्थ की मृत्यु हो जाती है या वह किसी भी कारण से कार्य करने में असमर्थ रहता है, तो पक्ष इस खंड में निर्दिष्ट तरीके से ही किसी अन्य व्यक्ति को मध्यस्थ के रूप में नियुक्त करेंगे। इस प्रकार नियुक्त मध्यस्थ उस चरण से संदर्भ को आगे बढ़ाने का हकदार होगा जिस पर उसके पूर्ववर्ती द्वारा इसे छोड़ा गया था।

5. मध्यस्थता कार्यवाही का स्थान नीचे दिए गए खंड में प्रदान किए गए संबंधित स्थानों पर होगा। मध्यस्थता कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में संचालित की जाएगी। इस मध्यस्थता के अनुसरण में किसी भी कानून की अदालत में शुरू

की जाने वाली कोई भी कार्यवाही केवल अनुसूची में निर्दिष्ट स्थान पर स्थित सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों में ही स्थापित और आयोजित की जाएगी।

6. एकमात्र मध्यस्थ/मध्यस्थ न्यायाधिकरण उधारकर्ता(ओं) द्वारा या उनकी ओर से प्रस्तुत की गई किसी भी सुरक्षा पर अधिनिर्णय पारित करने का भी हकदार होगा। एकमात्र मध्यस्थ/मध्यस्थ न्यायाधिकरण विवाद के समाधान तक, उधारकर्ता(ओं) और बैंक के हितों की रक्षा के लिए उचित समझे जाने वाले किसी भी अंतरिम आदेश को पारित करने का भी हकदार है।

7. उपरोक्त किसी भी बात के होते हुए भी, इस मध्यस्थता खंड में निहित कोई भी बात उन विवादों या दावों पर लागू नहीं होगी जो ऋण वसूली और दिवालियापन अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित ऋण वसूली न्यायाधिकरण के आर्थिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं;

मध्यस्थता का स्थान नीचे बताए अनुसार होगा:

क्रम संख्या	**वह राज्य जहाँ ग्राहक निवास करता है / पत्राचार का पता**	**मध्यस्थता का स्थान**
1	ऐसे ग्राहक जिनका पता केरल राज्य में है	एर्नाकुलम
2	ऐसे ग्राहक जिनका पता तमिलनाडु राज्य में है	चेन्नई
3	ऐसे ग्राहक जिनका पता कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में है।	बेंगलुरु
5	ऐसे ग्राहक जिनका पता महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, दमन और दीव और दादरा और नगर हवेली राज्यों में है।	मुंबई
6	ऐसे ग्राहक जिनका पता पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, नागालैंड, मेघालय, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में है।	कोलकाता
7	ऐसे ग्राहक जिनका पता पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों में है।	नई दिल्ली

क्षेत्राधिकार और शासी कानून

पक्षों के बीच यह सहमति हुई है कि मध्यस्थता खंड (आर्बिट्रेशन क्लॉज) के समाप्त होने के बाद, पक्षों के बीच मामलों की सुनवाई के लिए एर्नाकुलम की अदालतों के पास विशेष क्षेत्राधिकार होगा। हालांकि, मध्यस्थता का विकल्प चुनने से पहले, इसमें शामिल पक्षों को कानून के तहत उनके लिए उपलब्ध किसी भी अन्य उपचार का उपयोग करने से रोका नहीं गया है। यह नियम और शर्तें (टीएंडसी) भारत के कानूनों द्वारा शासित होंगी।

संदर्भ

किसी भी जेंडर के संदर्भ में सभी जेंडर शामिल होंगे और एकवचन के संदर्भ में बहुवचन शामिल होगा और इसके विपरीत भी लागू होगा।

स्वीकृति

1. आपने सभी खंडों से युक्त संपूर्ण टीएंडसी को पढ़ और समझ लिया है और आप इसमें बताई गई सभी शर्तों से बाध्य होने के लिए सहमत हैं।
2. आप स्वीकार करते हैं कि क्रेडिट कार्ड से संबंधित नियम और शर्तें और अन्य दस्तावेज़ आपको आपकी समझी जाने वाली भाषा में समझा दिए गए हैं और आपने विभिन्न धाराओं के संपूर्ण अर्थ को समझ लिया है।
3. कार्ड का उपयोग टी एंड सी, एमआईटीसी और क्रेडिट कार्ड्स से संबंधित अन्य दस्तावेजों में निर्धारित नियमों और शर्तों की स्वीकृति को दर्शाता है।
4. आप सामान्य कार्ड शर्तों, एमआईटीसी और क्रेडिट कार्ड्स से संबंधित अन्य दस्तावेजों की नियमित रूप से समीक्षा करने के लिए जिम्मेदार होंगे, जिसमें उनमें किए गए कोई भी संशोधन शामिल हैं जिन्हें बैंक की वेबसाइट पर पोस्ट किया जाएगा। फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड का उपयोग जारी रखकर यह माना जाएगा कि आपने ऐसी संशोधित शर्तों को स्वीकार कर लिया है।

<u>नियम और शर्तें – फेडरल रुपे वेव क्रेडिट कार्ड</u>

1. फेडरल बैंक वेव क्रेडिट कार्ड ("फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड") बैंक द्वारा कार्डधारक को प्रदान किया गया रुपे कार्ड पेमेंट नेटवर्क से जुड़ा एक अतिरिक्त क्रेडिट कार्ड है, जिसका उद्देश्य कार्डधारक के नाम पर पहले से जारी और मौजूद प्राथमिक फेडरल बैंक क्रेडिट कार्ड ("प्राइमरी क्रेडिट कार्ड") के तहत स्वीकृत/ सहमति के लिए सहमत क्रेडिट सीमाओं का संचालन/उपयोग करना है। फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड, प्राइमरी क्रेडिट कार्ड का पूरक होगा और इसमें दिए गए नियमों और शर्तों के अधीन, प्राइमरी क्रेडिट कार्ड अकाउंट के लिए निर्धारित क्रेडिट सीमाओं के भीतर निर्बाध लेनदेन (यूपीआई भुगतान सहित) को सक्षम बनाता है।

2. फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड को प्राइमरी क्रेडिट कार्ड से जोड़ा जाएगा और वेव क्रेडिट कार्ड एवं प्राइमरी क्रेडिट कार्ड दोनों के लिए एक ही साझा क्रेडिट क्रेडिट लिमिट होगी। प्राइमरी क्रेडिट कार्ड के लिए लागू क्रेडिट लिमिट को फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड के साथ साझा किया जाएगा। इसके बाद फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड और प्राइमरी क्रेडिट कार्ड को सामूहिक रूप से "क्रेडिट कार्ड" कहा जाएगा।
3. फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड का जारी किया जाना पूरी तरह से फेडरल बैंक की आंतरिक नीति/दिशानिर्देशों के अधीन होगा।
4. केवल वे कार्डधारक जिनके पास प्राइमरी क्रेडिट कार्ड के रूप में वीज़ा या मास्टरकार्ड है, वे फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के योग्य होंगे। प्राइमरी क्रेडिट कार्ड के रूप में रुपे वेरिएंट कार्ड जारी किए गए कार्डधारक फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के योग्य नहीं होंगे।
5. फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड कार्डधारकों को वर्चुअल और फिजिकल दोनों रूपों में जारी किया जा रहा है, जो फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड के लिए आवेदन करते समय ग्राहक के विकल्प पर आधारित है और उन नियमों और शर्तों के अधीन है जो फेडरल बैंक इस संबंध में निर्धारित कर सकता है। यदि कार्डधारक वर्चुअल रूप में फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड का विकल्प चुनता है,

तो वह किसी भी परिस्थिति में बाद की तारीख में फिजिकल रूप में फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड के लिए योग्य नहीं होगा। इसके विपरीत, फिजिकल रूप में फेडरल वेव कार्ड चुनने वाले कार्डधारक को फेडरल बैंक के मोबाइल बैंकिंग प्लेटफॉर्म यानी फेडमोबाइल में वर्चुअल फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड देखने का विकल्प प्रदान किया जाएगा। फिजिकल कार्ड जारी करना और उनका रखरखाव फेडरल बैंक को लागू फीस और शुल्कों के भुगतान के अधीन होगा।

6. बैंक के पास कार्डधारकों द्वारा प्रस्तुत विकल्पों के आधार पर और उन नियमों और शर्तों के अधीन, जो फेडरल बैंक इस संबंध में निर्धारित कर सकता है, भौतिक या वर्चुअल रूप में वेव क्रेडिट कार्ड जारी करने का एकमात्र और पूर्ण विवेक होगा।

7. कार्डधारक प्राइमरी क्रेडिट कार्ड के विरुद्ध केवल एक फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड के लिए योग्य होंगे। यदि फेडरल बैंक को कार्डधारक के नाम पर कोई अन्य वेव क्रेडिट कार्ड मिलता है, तो ऐसे अतिरिक्त फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड को फेडरल बैंक द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के बंद कर दिया जाएगा।

8. फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड के संबंध में सभी नियम और शर्तें/अन्य संचार (समय-समय पर संशोधित) कार्डधारक के रजिस्टर्ड ई-मेल पते/डाक पते/मोबाइल नंबर पर भेजे जाएंगे, जिसे कार्डधारक को दी गई उचित सूचना माना जाएगा।

9. संबंधित प्राइमरी क्रेडिट कार्ड और फेडरल वे क्रेडिट कार्ड्स के लिए एक ही साझा क्रेडिट लिमिट निर्धारित की जाएगी, जिसका अर्थ यह है कि दोनों क्रेडिट कार्ड्स के तहत अनुमत कुल क्रेडिट लिमिट एमआईटीसी, टीएंडसी और केएफएस में निर्दिष्ट प्राइमरी क्रेडिट कार्ड के लिए निर्धारित क्रेडिट लिमिट से अधिक नहीं होगी। फेडरल वे क्रेडिट कार्ड लिमिट की लिमिट बैंक द्वारा, अपने पूर्ण विवेक पर, प्राइमरी क्रेडिट कार्ड धारक के अनुरोध पर निर्धारित की जाती है, जो प्राइमरी क्रेडिट कार्ड पर अनुमत अधिकतम क्रेडिट लिमिट तक हो सकती है।

10. सावधि जमा (टर्म डिपॉजिट) के माध्यम से सुरक्षित कार्डों के लिए, बैंक दोनों प्राइमरी क्रेडिट कार्ड और फेडरल वेव क्रेडिट कार्डों के तहत दी गई राशि/क्रेडिट लिमिट के लिए ऐसी टर्म डिपॉजिट पर ग्रहणाधिकार (लिएन) अंकित करेगा। यदि सुरक्षा के रूप में दी गई फिक्स्ड डिपॉजिट को किसी भी कारण से बंद करना आवश्यक है, तो ऐसा बंद किया जाना/करने की अनुमति केवल प्राइमरी क्रेडिट कार्ड और फेडरल वेव क्रेडिट दोनों कार्डों के तहत संपूर्ण बकाया देय राशि का भुगतान करने के बाद उन्हें बंद करने पर ही दी जाएगी। बैंक कार्डधारक को बिना किसी पूर्व सूचना के, टर्म डिपॉजिट के तहत प्राप्त राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से प्राइमरी क्रेडिट कार्ड और फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड दोनों के तहत किसी भी बकाया देनदारियों के विरुद्ध समायोजित/सेट-ऑफ करने का हकदार होगा। प्राइमरी क्रेडिट कार्ड पर लागू कार्डों को सुरक्षित करने के संबंध में सभी नियम और शर्तें, फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड पर भी यथोचित परिवर्तनों सहित (म्युटैटिस-म्युटैंडिस) लागू होंगी।

11. एक बार फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड जारी होने के बाद, कार्डधारक किसी भी ओवरलिमिट फैसिलिटी (लिमिट से अधिक की सुविधा) के लिए योग्य नहीं होगा। प्राइमरी क्रेडिट कार्ड के तहत बैंक द्वारा प्रदान की गई या प्रदान करने के लिए सहमत ओवर-लिमिट फैसिलिटी, यदि कोई हो, तो फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड जारी होते ही कार्डधारक को जारी किए गए सभी कार्ड अकाउंट्स यानी प्राइमरी क्रेडिट कार्ड/ऐड-ऑन कार्ड के लिए बिना किसी पूर्व सूचना के रद्द या वापस ले ली जाएगी। (*ओवरलिमिट फैसिलिटी का अर्थ बैंक द्वारा कार्डधारक को प्राइमरी क्रेडिट कार्ड के तहत मूल क्रेडिट लिमिट के एक पूर्व-निर्धारित प्रतिशत तक प्रदान किया गया अस्थायी ओवरड्राफ्ट या अतिरिक्त राशि है, जो बैंक द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन है*)।

12. प्राइमरी क्रेडिट कार्ड और फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड के लिए बिलिंग स्टेटमेंट एक ही तारीख को अलग-अलग जारी किए जाएंगे, जिनमें प्रत्येक कार्ड के लिए लागू संबंधित न्यूनतम देय राशि यानी मिनिमम अमाउंट ड्यू (एमएडी), कुल देय राशि यानी टोटल अमाउंट ड्यू (टीएडी), भुगतान की देय तिथि आदि की जानकारी दी जाएगी। प्राइमरी क्रेडिट कार्ड और फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड दोनों के लिए लागू बिलिंग साइकिल / अवधि समान होगी। किसी भी कार्ड, यानी प्राइमरी क्रेडिट कार्ड या फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड के बिलिंग साइकिल / अवधि में किया गया कोई भी बदलाव दूसरे कार्ड पर भी समान रूप से लागू होगा।

13. फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके किए गए सभी लेनदेन के लिए, लेनदेन अलर्ट और ओटीपी कार्ड धारक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर / ई-मेल पते पर भेजे जाएंगे।

14. कार्डधारक द्वारा प्रत्येक बिलिंग स्टेटमेंट के विरुद्ध भुगतान की गई राशि को लागू होने के अनुसार संबंधित क्रेडिट कार्ड (प्राइमरी क्रेडिट कार्ड या फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड) अकाउंट में जमा किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में, क्रेडिट कार्ड्स (फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड या प्राइमरी क्रेडिट कार्ड) में से किसी के भी संबंध में किए गए किसी भी गलत/अतिरिक्त भुगतान के मामले में, कार्डधारक प्रत्येक कार्ड पर किए गए किसी भी भुगतान को वापस लेने/पुनः स्थानांतरित करने का हकदार नहीं होगा। कार्डधारक द्वारा किए गए ऐसे किसी भी गलत/अतिरिक्त भुगतान और संबंधित क्रेडिट कार्ड्स के विरुद्ध समायोजन के कारण कार्डधारक को होने वाले/होने वाले किसी भी नुकसान के लिए फेडरल बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।

15. प्रत्येक क्रेडिट कार्ड (फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड या प्राइमरी क्रेडिट कार्ड) के तहत बकाया राशि का अलग-अलग पुनर्भुगतान न करने पर, संबंधित क्रेडिट कार्ड वेरिएंट के लिए 'सबसे महत्वपूर्ण नियम और शर्तें' (एमआईटीसी) के अनुसार संबंधित कार्ड अकाउंट्स में लागू शुल्क डेबिट किए जाएंगे। कार्डधारक एक कार्ड में जमा की गई या उपलब्ध किसी भी अतिरिक्त/अधिशेष राशि का लाभ दूसरे कार्ड पर लागू शुल्कों के भुगतान के लिए लेने का हकदार नहीं होगा।

16. (i) यदि कार्डधारक किसी भी क्रेडिट कार्ड्स के संबंध में बिलिंग स्टेटमेंट में निर्दिष्ट तिथि को या उससे पहले न्यूनतम देय राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो इसे दोनों क्रेडिट कार्ड्स यानी फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड और प्राइमरी क्रेडिट कार्ड के संबंध में चूक (डिफ़ॉल्ट) माना जाएगा।

(ii) किसी भी क्रेडिट कार्ड्स के संबंध में देय राशि के भुगतान में चूक (डिफ़ॉल्ट) होने की स्थिति में, बैंक को विवरण सहित इस डिफ़ॉल्ट की जानकारी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज़ (सीआईसी) या कानून द्वारा अनुमोदित ऐसी अन्य एजेंसियों को देने का अधिकार होगा। हालांकि, किसी भी डिफ़ॉल्ट की रिपोर्ट करने से पहले, बैंक कार्डधारक को इसकी सूचना कम से कम सात दिन पहले देगा।

(iii) सीआईसीज़ को डिफॉल्ट रिपोर्टिंग के संबंध में, निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:

(a) रिपोर्ट किया गया डेज़ पास्ट ड्यू (डीपीडी) यानी देय तिथि से विलंबित दिनों की संख्या, प्राइमरी कार्ड अकाउंट और फेडरल वेव कार्ड अकाउंट में दर्शाए गए उच्चतम डेज़ पास्ट ड्यू यानी देय तिथि से विलंबित दिनों की संख्या के अनुसार होगा। *(यहाँ उल्लिखित "डेज़ पास्ट ड्यू" का अर्थ बिलिंग स्टेटमेंट में दी गई पेमेंट ड्यू डेट से उन दिनों की संख्या है, जिनके दौरान क्रेडिट कार्ड अकाउंट बकाया (ओवरड्यू) रहता है, अर्थात जब तक कम से कम न्यूनतम देय राशि का भुगतान प्राप्त नहीं हो जाता)*।

(b) बकाया राशि (जिसका अर्थ है और जिसमें मूलधन, ब्याज, शुल्क, फीस और कार्डधारक द्वारा समय-समय पर बैंक को क्रेडिट कार्ड अकाउंट/ अकाउंटओं के तहत देय कोई भी अन्य राशि शामिल है) जिसे सीआईसी को रिपोर्ट किया जाएगा, वह एक विशेष बिलिंग साइकिल/अवधि में संयुक्त रूप से प्राइमरी कार्ड अकाउंट और फेडरल वेव कार्ड अकाउंट के तहत कुल बकाया राशियों का कुल योग होगी।

(iv) बैंक सीआईसी के पास डिफॉल्ट हुए क्रेडिट कार्ड अकाउंट का विवरण मासिक आधार पर रिपोर्ट करता है। इसके मद्देनजर, क्रेडिट कार्ड अकाउंट के पुनर्भुगतान की स्थिति भी मासिक आधार पर रिपोर्ट की जाएगी। इसलिए, पिछले महीने में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों को रिपोर्ट किए जाने के बाद कार्डधारकों द्वारा बकाया राशि का कोई भी निपटान केवल आगामी महीने की देय तिथि पर ही रिपोर्ट किया जाएगा। इसके अलावा, यदि किसी लेनदेन पर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो डिफॉल्ट से संबंधित रिपोर्ट ऐसे विवादों के निपटान के बाद ही दी

जाएगी। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां जमा किए गए डेटा को अगले तीस दिनों में अपने सर्वर पर अपलोड करेंगी। इन कारणों से, बकाया राशि के निपटान के बाद सीआईसी डिफॉल्ट रिपोर्ट से कार्डधारक के विवरण को हटाने में उपर्युक्त समयावधि लग सकती है।

17. फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड के संबंध में बकाया राशि/देय राशि के पुनर्भुगतान में किसी भी चूक और एमआईटीसी में निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्ड अकाउंट को विशेष उल्लेख अकाउंट्स (एसएमए), या नॉन-परफॉर्मिंग एसेट (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत करने के परिणामस्वरूप, बिना किसी पूर्व सूचना के प्राइमरी क्रेडिट कार्ड और फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक कर दिया जाएगा और इसके विपरीत होने पर भी यही लागू होगा। क्रेडिट कार्ड्स (दोनों प्राइमरी क्रेडिट कार्ड और फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड) को मानक संपत्ति/संपत्तियों में तब तक अपग्रेड नहीं किया जाएगा और कार्डधारक को क्रेडिट कार्ड्स (प्राइमरी क्रेडिट कार्ड और फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड) का उपयोग करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जब तक कि सभी कार्ड अकाउंट्स के संबंध में संपूर्ण बकाया/देय राशि का निपटान/भुगतान नहीं हो जाता।

18. फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड और प्राइमरी क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट्स/अन्य लाभ अलग-अलग होंगे। प्राइमरी क्रेडिट कार्ड और फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड के बीच रिवॉर्ड पॉइंट्स/लाभों के परस्पर विनिमय की अनुमति नहीं होगी।

19. फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड कार्डधारक को निम्नलिखित लाभ प्रदान करता है:

    - कार्ड जारी होने के पहले 30 दिनों के भीतर किए गए न्यूनतम पहले 5 यूपीआई लेनदेन पर 10% कैशबैक, अधिकतम 200/- रुपये तक (नोट: कैशबैक के लिए रिवर्सल लेनदेन को पात्र लेनदेन नहीं माना जाएगा)।
    - कार्ड जारी होने के बाद पहली तिमाही में 50,000 रुपये खर्च करने पर 1000 रिवॉर्ड पॉइंट्स।
    - प्रत्येक 200 रुपये के खर्च पर एक रिवॉर्ड पॉइंट। एमआईटीसी में बताए अनुसार प्रतिबंधित श्रेणियों पर रिवॉर्ड पॉइंट लागू नहीं होंगे।

    रिवॉर्ड रिडेम्पशन के नियम और प्रतिबंधित श्रेणियां एमआईटीसी में दी गई शर्तों के अनुसार होंगी।

20. कार्डधारक को फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड जारी होने के बाद यूपीआई सुविधा और ईकॉम कार्ड नियंत्रण स्वचालित रूप से एक्टिवेट हो जाएंगे।

21. कार्डधारक इस बात से सहमत है कि फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड के तहत देय राशि के पुनर्भुगतान का तरीका (जिसमें वह निर्दिष्ट अकाउंट शामिल है जिससे ऑटो-डेबिट लिंक है, चाहे ऑटो-डेबिट की जाने वाली राशि कुल देय राशि हो या न्यूनतम देय राशि आदि) वही होगा जो प्राइमरी कार्ड पर लागू होने वाली शर्तों के अनुसार है। यदि कार्डधारक पुनर्भुगतान के तरीके में कोई बदलाव करना चाहता है, तो कार्डधारक को फेडरल बैंक संपर्क केंद्र (ई-मेल: creditcards@federal.bank.in / टोल फ्री 1800 420 1199) पर एक विशिष्ट अनुरोध प्रस्तुत करना होगा, जिसे फेडरल बैंक द्वारा अपने पूर्ण और विवेकाधीन अधिकार पर स्वीकृत किया जा सकता है। फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड जारी होने के बाद प्राइमरी कार्ड के पुनर्भुगतान के तरीके में किया गया कोई भी बदलाव फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड में लागू या प्रतिबिंबित नहीं होगा। इसी तरह, वेव क्रेडिट कार्ड पुनर्भुगतान की शर्तों में बाद में किया गया कोई भी बदलाव प्राइमरी कार्ड पर लागू नहीं होगा।

22. फेडरल बैंक के पास बिना कोई कारण बताए वेव क्रेडिट कार्ड की विशेषताओं/लाभों में परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित है।

23. फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए यह अनिवार्य है कि प्राइमरी क्रेडिट कार्ड से जुड़ा कार्डधारक का खाता, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के मानदंडों के तहत नियमित स्थिति में होना चाहिए।

24. फेडरल बैंक के पास बिना कोई कारण बताए फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड के आवेदन को अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है।

25. फेडरल बैंक के पास कार्डधारक को जारी किए गए फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड को बिना किसी पूर्व सूचना और बिना कोई कारण बताए डीएक्टिवेट करने और/या ब्लॉक करने का अधिकार सुरक्षित है।

26. यदि कार्डधारक प्राइमरी क्रेडिट कार्ड को समाप्त करना चाहता है, तो उसे पहले फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड को समाप्त करना होगा। इस दस्तावेज़ में किसी भी बात के होते हुए भी, किसी भी कारण से संबंधित प्राइमरी क्रेडिट कार्ड के अमान्य होने पर फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड स्वतः ही अमान्य हो जाएगा।

27. फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड से संबंधित कोई भी वैल्यू-ऐडेड सेवाएँ (जिसमें लेनदेन राशि के लिए ईएमआई सुविधा आदि शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है) प्राइमरी क्रेडिट कार्ड से अलग होंगी।

28. फेडरल बैंक के पास किसी भी समय इन सभी या किन्हीं भी नियमों और शर्तों को जोड़ने, बदलने, संशोधित करने या उनमें बदलाव करने अथवा इन नियमों और शर्तों को पूर्ण या आंशिक रूप से बदलने का अधिकार सुरक्षित है। नियमों और शर्तों में किसी भी बदलाव के बारे में आपको संशोधित नियमों और शर्तों के प्रभावी होने से कम से कम एक महीने पहले एसएमएस या ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।

29. यदि बैंक ने शुल्कों में कोई ऐसा बदलाव किया है जो आपके लिए अनुकूल है, तो हम ऐसे बदलाव के 30 दिनों के भीतर आपको सूचित करेंगे। हालांकि, यदि बदलाव आपके लिए प्रतिकूल हैं, तो कम से कम 30 दिनों का पूर्व नोटिस दिया जाएगा। साथ ही, आपको ऐसे नोटिस के 60 दिनों के भीतर संशोधित शुल्क या ब्याज का भुगतान किए बिना कार्ड अकाउंट को बंद करने या किसी अन्य योग्य लोन प्रोडक्ट को चुनने का विकल्प दिया जाएगा। विभिन्न खरीदारी/अन्य लेनदेन के संबंध में फेडरल बैंक द्वारा दिया गया और कार्डधारक के लिए पात्र कोई भी कैशबैक, लेनदेन के 60 दिनों के भीतर कार्ड अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा, बशर्ते कि फेडरल बैंक ने इसे किसी विशिष्ट कारण से न रोका हो। मर्चेंट द्वारा दिए गए कैशबैक, मर्चेंट से राशि प्राप्त होने पर ही कार्ड अकाउंट में जमा किए जाएंगे।

30. फेडरल बैंक के पास फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत दिए गए किसी भी ऑफर को संशोधित करने, बदलने, वापस लेने या उसे किसी अन्य ऑफर से बदलने का अधिकार सुरक्षित है, चाहे वह मौजूदा ऑफर के समान हो या नहीं। ऑफर के ऐसे संशोधन, परिवर्तन या वापसी के कारण कार्डधारक को होने वाली किसी भी कार्रवाई, दावे, मांग, हानि, क्षति, लागत, शुल्क या खर्च के लिए कार्ड धारक फेडरल बैंक को उत्तरदायी या जिम्मेदार नहीं ठहराएगा।

31. फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड का जारी किया जाना/रखरखाव प्राइमरी क्रेडिट कार्ड के लिए निष्पादित टीएंडसी, एमआईटीसी और केएफएस के अधीन है। उपरोक्त किसी भी दस्तावेज़ में उल्लिखित नियमों और शर्तों और यहाँ दिए गए नियमों और शर्तों के बीच किसी भी विसंगति की स्थिति में, फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड के संबंध में ये नियम और शर्तें ही मान्य होंगी।

ऑफर से उत्पन्न होने वाले, इसके संबंध में या इसके परिणामस्वरूप, अथवा फेडरल वेव क्रेडिट कार्ड से संबंधित कोई भी विवाद, यदि कोई हो, तो वे केवल एर्नाकुलम स्थित सक्षम न्यायालयों/न्यायाधिकरणों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।